

॥ ओ३म ॥

पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क

योग क्रान्ति से कृषि क्रान्ति
की ओर बढ़ते कदम



किसानों के लिए सुनहरा अवसर

M O F P I

भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मेगा फूड पार्क स्कीम के अन्तर्गत स्थापित



पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के कुछ दृश्य



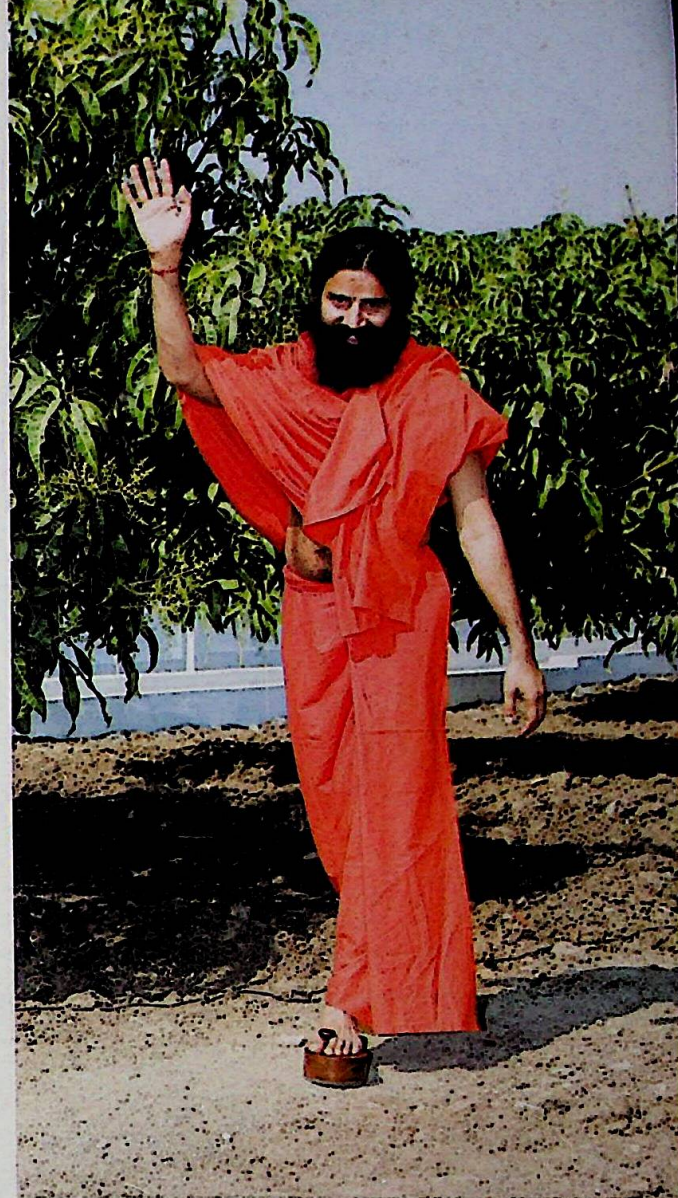
सम्पूर्ण विश्व में आयुर्वेद का सर्वाधिक विश्वसनीय संस्थान

भारत देश में लगभग 119 करोड़ की आबादी है। इसमें लगभग 80 करोड़ नागरिक कृषि पर निर्भर हैं। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि 18.4 करोड़ हेक्टेयर अर्थात् 92 करोड़ एकड़ ही है। भारत में 82% किसानों के पास औसतन 2 एकड़ ही भूमि है, क्योंकि 82% किसान छोटे किसान हैं।

भारत देश में 11% ग्रामीण परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है। भारत में 31% ग्रामीण परिवारों के पास एक एकड़ भूमि ही है। इन 31% ग्रामीण परिवारों के पास कुल भूमि का मात्र 1.3% ही है। जिन 31% ग्रामीण परिवारों के पास औसतन 1 एकड़ भूमि है, उनकी वार्षिक आय 5220 रुपये के आस पास है अर्थात् इन 31% ग्रामीण परिवारों की एक दिन की आमदनी 14 रुपये के आस-पास है। दूसरे जो 11% ग्रामीण परिवार हैं वे तो पूरी तरह दूसरों की दया पर निर्भर हैं। उनको कभी-कभी कृषि मजदूर की तरह से काम मिल जाये तो ठीक वरना ये परिवार भूखे सोने के लिये मजबूर हैं। इस तरह भारत में कुल 42% ग्रामीण परिवारों के सामने लगभग भुखमरी की हालत है।

भारत देश में आजादी के बाद 11 पंचवर्षीय योजनाएँ लागू हो चुकी हैं। इन सभी योजनाओं में गरीबी, भुखमरी को दूर करने पर ही जोर दिया गया है, लेकिन फिर भी हालात इतने खराब हैं। हर पंचवर्षीय योजना में औसतन 10,00,00 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। इतनी भयंकर गरीबी और बदहाली की स्थिति में रहने वाले ग्रामीण परिवारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिये कई स्तरों पर प्रयास करने होंगे। अकेले सरकार के स्तर पर यह प्रयास नाकाफी है क्योंकि गत 63 वर्षों से सरकार के द्वारा लगातार प्रयास चल रहे हैं और परिणाम जस का तस है। पंतजलि फूड एवं हर्बल पार्क इसी दिशा में एक ईमानदार प्रयास करना चाहता है।

भारत की छोटी जोत वाले किसानों और भूमिहीन किसानों को सामूहिक रूप से इसी प्रयास का हिस्सा बनाना है। इन सब उपायों द्वारा यदि छोटे किसानों को सामूहिक रूप से कृषि कार्य के लिए तैयार किया जाये, (क्योंकि छोटी जोत होने के कारण, अकेले कृषि करने से लागत खर्च अधिक आता है) और उनके खेतों में ऐसी कृषि वस्तुओं का उत्पादन हो जिनका आसानी से मूल्यवर्धन कर सकें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में एक नई क्रान्ति आ सकती है। किसान के द्वारा अनाज, सब्जी, फल आदि पैदा किया जाता है तो भी उस को पूरा मूल्य नहीं मिल पाता है। बाजार में बिकने वाले कृषि उपज के मूल्य और किसान द्वारा बेचे जाने वाले मूल्य में बहुत भिन्नता होने के कारण बिचौलिये और दलालों के द्वारा मोटा मुनाफा कमाना है। वहीं दूसरी ओर खाद्य प्रसंस्करण के नाम पर विविध तरह की अखाद्य वस्तुओं—फास्ट फूड, जंकफूड व विविध तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स एवं तत्व विहीन पदार्थों की महिमा मण्डित करके देश के बचपन को भ्रमित किया जा रहा है। जवानी आज कहीं पीड़ित है और बुढ़ापा व्याकुल है। उसको भी हम स्वस्थ व पौष्टिक आहार, फलों एवं जड़ी-बूटियों, सब्जियों के रस द्वारा देश को स्वस्थ व समृद्ध बनाना चाहते हैं। किसानों को अपनी उपज का भरपूर मूल्य मिले, देशवासियों को स्वास्थ्य वर्धक आहार मिले। शहर की अर्थव्यवस्था गांव तक पहुंचे जिससे पूरा



आहार हमारे भौतिक जीवन का मुख्य आधार है। यदि हमारे शरीर को पौष्टिक आहार मिले तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते। पहले हमारे पूर्वज मिला-जुला अर्थात् मिश्रित अनाज खाते थे व मिल जुलकर रहते थे। पंतजलि फूड पार्क में बंजर भूमि व असिंचित भूमि पर उगने वाले अन्नों का पूरा मूल्य किसानों को मिलेगा तथा जड़ी-बूटी आधारित सौन्दर्य प्रसाधन साथ ही आँवला, एलोवेरा आदि का प्रतिदिन सैकड़ों टन की मात्रा में प्रसंस्करण किया जायेगा। इससे गाँव व गरीबों को समृद्धि तथा शहरों में बसने वाले लोगों के स्वास्थ्य का द्वार खुलेगा।

स्वास्थ्य एवं समृद्धि के इस महाभियान से कृषि के क्षेत्र में एक अभिनव क्रान्ति पैदा होगी और इस कृषि क्रान्ति से देश के लगभग 70 करोड़ कृषकों व कृषि पर आधारित आजीविका वाले मजदूरों के लिए समृद्धि, स्वावलम्बन व आत्मसम्मान का द्वार खुलेगा।

मैं पंतजलि फूड एवं हर्बल पार्क के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करता हूँ।

- स्वामी रामदेव



देश स्वस्थ हो, किसान समृद्ध हों। यही हमारा स्वप्न व संकल्प है। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क इस दिशा में पूरे भारत वर्ष के किसानों के लिए एक आदर्श स्थापित करेगा। हमें पूर्ण विश्वास है इस फूड पार्क द्वारा श्रद्धेय योगऋषि स्वामी रामदेव के स्वप्न के भारत निर्माण के लिए हमने योग क्रान्ति के बाद कृषि क्रान्ति को लिया है, इस क्रान्ति से देश के किसान खुशहाल होंगे उनकी दशा व स्थिति में सुधार होगा। छोटी जोत वाले किसानों की आमदनी इससे बढ़ायी जा सकेगी। दूसरी ओर जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उन्हें इस सामूहिक खेती में श्रम के लिये नियोजित किया जा सकेगा। इसी तरह यदि छोटी जोत वाले किसानों को आयुर्वेदिक औषधियाँ लगाने के लिये प्रेरित करके, उनको प्रशिक्षित करके, जड़ी-बूटी के बीज व पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था करके उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। उनकी उपज को उचित मूल्य पर बाजार में विक्रय हेतु उपलब्ध कराने के लक्ष्य को लेकर, हमने इस कृषि क्रान्ति के महा अभियान को चुनौती के रूप में लिया है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम अन्य क्षेत्रों के उद्यमियों से आह्वान करते हैं कि वे भी कृषि उपज व खाद्यान्न प्रसंस्करण की ओर आवें, जिससे हम सब मिलकर देश की समृद्धि को बढ़ा सकें। जिससे देश की गरीबी, अशिक्षा व बेरोजगारी का अन्त हो। हमारा संकल्प है कि देश को सभी तरह की पीड़ा, अभाव, रोग-शोक से मुक्त कर सकें। जब तक देश के आधे व्यक्तियों का बीमारी, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा व बेरोजगारी का सही समाधान नहीं हो जाता तब तक उसको दूर करने के लिए प्रभु हमें प्रेरणा देते रहे हैं, देशवासियों की पीड़ा से हम दर्द महसूस करके उसके लिए और भी ऊर्जा, गति व शक्ति से अपने मार्ग में आरुढ़ हों, राष्ट्र सेवा व जन सेवा के इस महाव्रत में अपने आप को आहूत कर सकें तो हम अपने आप को अहोभाग्यशाली समझेंगे। इस कार्य को मूर्त रूप देने में भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का मेगा फूड पार्क के अन्तर्गत हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। जिसके लिए हम खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, उनके सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं विशेषकर श्री अशोक सिन्हा सचिव खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री सुबोधकान्त सहाय माननीय मन्त्री खाद्य प्रसंस्करण का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जिनके सहयोग से इस महा अभियान में गति व उत्साह का संचार हुआ। आर्थिक सहभागी के बिना इतने वृहत कार्य का सम्पादन करना दुस्तर था। इस कार्य को बड़ी सहजता, सहृदयता के साथ पूर्ण करने के लिए माता सुनीता जी व श्री श्रवण जी को कृतज्ञता से स्मरण करता हूँ। भाई पप्पु पित्ती जी एवं श्री गोविन्द अग्रवाल जी के योगदान के लिए भी उन्हें धन्यवाद करता हूँ। उन सभी सहयोगियों जिन्होंने मेरे साथ रात-दिन एक करके इस कार्य को अल्प समय में गुणवत्ता पूर्ण ढंगपूर्वक किया उन सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। श्रद्धेय स्वामीजी के स्वप्नों को मूर्त रूप देने के लिए संकल्पवान उन सभी भाई-बहनों, इस योगक्रान्ति के सभी सहयात्री, सहयोगी के प्रति आभारी हूँ जो अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा से इस मिशन में लगे हुए हैं। उन किसान भाईयों का संघर्षमय कठिन जीवन व देश को अनाज खिलाने वाला कर्मयोगी, स्वयं भूखा व अभाव ग्रस्त रहकर भी देश के अभाव को दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। उन खेतीहर मजदूर किसानों की पीड़ा जो इस महायज्ञ (फूडपार्क) के निर्माण का निमित्त बना। सब के प्रति हृदय से मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

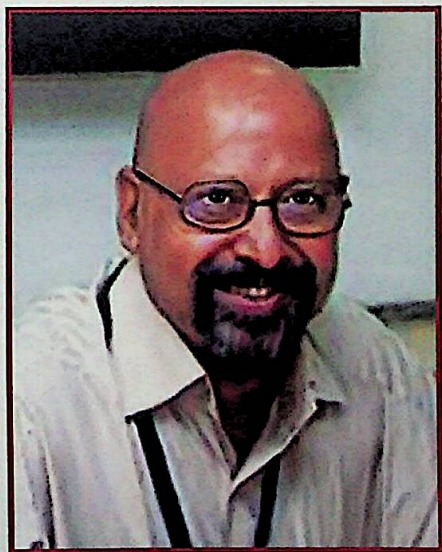
- आचार्य बालकृष्ण



“भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास से कृषकों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होगा और खराब हो जाने वाले फल-सब्जियों का प्रतिशत खाद्य प्रसंस्करण द्वारा कम होगा और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है जिससे कृषि क्षेत्र में नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी गरीबी दूर होगी, इसी उद्देश्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है”

श्री सुबोधकांत सहाय जी
केन्द्रीय मंत्री

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार



“खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ‘विजन 2015’ योजना का मुख्य उद्देश्य है : भारत को विश्व में खाद्य उत्पादन का केन्द्र बनाना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को तीन गुना करना, प्रसंस्करण के स्तर को 6 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ाना, संवर्धन को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना और विश्व खाद्य व्यापार में भारत की भागीदारी को 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत तक पहुँचाना”।

श्री अशोक सिन्हा
सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

विषय सूची

क्रम. विषय	पृष्ठ संख्या
1. पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क क्यों ?	5
2. उत्तराखण्ड में फूड पार्क की स्थापना के निहितार्थ	9
3. भारत में कृषि एवं उसकी स्थिति	10
4. पतंजलि फूड पार्क की परिकल्पना, चुनौतियाँ तथा लक्ष्य	12
5. पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की किसानों के हित में योजनायें	15
❖ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास	15
❖ प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन को प्राथमिकता	17
❖ पर्यावरण प्रबंधन व जैविक कृषि अनुसंधान	18
❖ जैविक अवशिष्टों के मूल्यवर्धन हेतु परियोजना	19
❖ खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन एवं सुधार	19
❖ मल्टी चैम्बर शीतगृह की स्थापना	20
❖ तकनीकी हस्तांतरण का सुदृढीकरण	20
❖ खाद्य प्रसंस्करण हेतु देश की जनता व सरकार से समन्वय एवं कृषक हितैषी विपणन व्यवस्था	21
❖ फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन	23
❖ कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा	24
6. कृषकों के लिए पतंजलि फूड पार्क से सीधे जुड़ने का सुनहरा अवसर	25
7. पतंजलि फूड पार्क में स्थापित विविध कम्पनियाँ व उनके द्वारा स्थापित इकाईयाँ	27
❖ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड	27
* खाद्य प्रसंस्करण इकाई	27
* पेय (जूस) इकाई	29
* आयुर्वेदीय इकाई	30
* जड़ी-बूटी/घनसत्व इकाई	31
* सौन्दर्य प्रसाधन इकाई	32
* डिटर्जेंट इकाई	32
❖ पतंजलि फ्लैक्ससीपैक प्राइवेट लिमिटेड	32
❖ दिव्य पैकमेफ प्राइवेट लिमिटेड	33
❖ पतंजलि नेचुरल कलरोमा प्राइवेट लिमिटेड	33
❖ पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड	33
❖ पतंजलि हाइड्रोपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	34
❖ मेगा फूड पार्क योजना	35
8. समाज व राष्ट्र की सेवा में संस्था के गौरवशाली 15 वर्ष	36



पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क क्यों ?

भारत हजारों वर्षों से दुनिया में सबसे अधिक कृषि उत्पादन और समृद्ध किसानों का देश रहा है। भारत की शस्य-श्यामला भूमि और अनुकूल जलवायु ने हमेशा भारत को कृषि कार्य में दुनिया का अग्रणी देश बनाये रखा है। ईश्वर और प्रकृति ने भी भारत को भरपूर अच्छी मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, पवन और पावन नदियों का वरदान दिया है। इसी कारण भारत की भूमि दुनिया के सबसे बेहतरीन कृषि उत्पादों की भूमि रही है। हजारों किस्म के अनाज, फल, शाक - सब्जियाँ, जड़ी बूटियाँ, भोजन के स्वाद और पोषकता को बढ़ाने वाले मसाले तथा औषधियाँ भारत की रत्नगर्भा वसुन्धरा की देन रहे हैं। जितनी जैविक विविधता भारत भूमि में है, वह शायद ही किसी और भूमि में मिल सकेगी। हजारों किस्म के खाद्यान्नों के बीज और पेड़ - पौधों का संसार भारत की सबसे बड़ी सम्पदा रही है। इन सभी कारणों से भारत का किसान हमेशा ही समृद्धशाली रहा है। शायद इन्हीं कारणों से भारत में "उत्तम खेती - मध्यम व्यापार" वाली कहावत बनी होगी। भारत के किसानों की अथक मेहनत और कारीगरी वाले दिमाग ने कृषि कार्यों में अनुकूलता को बनाये रखा है। भारतीय ऋषि-वैज्ञानिकों द्वारा खगोल शास्त्र की मदद से मौसम और जलवायु की सटीक गणनायें किसानों की बहुत मददगार रही हैं। इसके आधार पर किसान तय करते रहे हैं कि कब कौन सी फसल लगानी है? और क्या उत्पादन लेना है?

लेकिन वर्तमान में भारत की कृषि और किसान दोनों की ही दशा ठीक नहीं है। हर साल 16000 किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या हर संवेदनशील भारतवासी को झकझोर देती है। भारत के किसानों का कर्जों में डूबते चले जाना देश के लिये चिंता पैदा करता है। बढ़ती ग्रामीण जनसंख्या के कारण कृषि जोतों का छोटे होते चले जाना गंभीर परेशानी का कारण बन गया है। किसानों द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं का लाभकारी मूल्य नहीं मिलना, हमारे देश की कृषि नीतियों की सबसे बड़ी विफलता है। हर साल भारत के कुछ हिस्सों में होने वाली अधिक वर्षा और कुछ हिस्सों में पड़ने वाला भयंकर सूखा भी किसानों की कमर तोड़ देता है। आज भारत की खेती लगातार उत्पादन लागत के बढ़ते चले जाने से घाटे का शिकार हो चुकी है। सन् 1960 के दशक से भारतीय कृषि में

हरित क्रांति के नाम पर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हमेशा से देशी बीज और देशी खाद से होने वाली खेती में विदेशी बीज (संकर बीज) और विदेशी खाद (यूरिया, डी. ए. पी. आदि) डाला जाने लगा। भारत में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये विदेशी ज्ञान और तकनीक पर आधारित इस प्रयोग ने आज किसानों और खेती दोनों को कर्जे और घाटे में डुबो दिया है। संकर बीजों और रासायनिक खादों के लगातार बढ़ते मूल्यों से खेती की लागत बढ़ती गयी और किसानों का लाभ कम होता गया। संकर बीजों और रासायनिक खादों के अधिक उपयोग से कृषि भूमि को पोषकता उपलब्ध कराने वाले जीवाणुओं की संख्या घटती गयी। इसी के चलते कृषि उत्पादों की पोषकता घटती गयी और लागत कीमत बढ़ती गयी। कृषि भूमि में उपलब्ध मित्र जीवाणुओं के कम होते जाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि फसलों पर शत्रु कीटों और जन्तुओं का आक्रमण बढ़ता गया। अब इन्हें मारने के लिये फसलों पर कीटनाशक और जन्तुनाशक जहरीले रसायनों का छिड़काव होने लगा। इसके चलते कृषि की लागत और बढ़ी एवं मिट्टी में ज़हर बढ़ा। फिर यह ज़हर हमारी भोजन वस्तुओं में आकर हमारे रक्त में घुलने लगा। जिसके फलस्वरूप कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, जोड़ों के दर्द जैसी सैकड़ों खतरनाक बीमारियों का कारण यह ज़हर (कीट नाशक) बन गया है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि खेत की मिट्टी और फसल पर डाला जाने वाला यह ज़हर अब हमारी माताओं के दूध में पहुंच गया है। बचपन से हमारे नौनिहालों को यह ज़हर मां के दूध से मिल रहा है और खून में जमा हो रहा है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार यहाँ हर साल 24 लाख से अधिक लोगों को कैंसर अपनी गिरफ्त में ले रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार भारत में 8 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर होने की संभावना सबसे अधिक है। इनमें से अधिकांश लोग वही हैं जो भारत के खेतों में ज़हर का छिड़काव कर रहे हैं या नियमित रूप से इन ज़हरों के सम्पर्क में आ रहे हैं।

भारत में 786 किस्म के जहरीले कीटनाशक एवं जन्तुनाशक खेतों में डाले जाते हैं। हर साल 90,000 मीट्रिक टन (एक मीट्रिक टन = 10000 किलोग्राम) जहरीले कीटनाशक गैर जन्तुनाशक पाउडर रूप में और 1 करोड़ लीटर तरल रूप में भारत की मिट्टी और फसलों पर छिड़के जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी ज़हर फसलों और मिट्टी में छिड़के जाते हैं उनका मात्र 2% ही काम में आता है, बाकी 98% तो मिट्टी और पानी का प्रदूषण बढ़ाने में लगता है। अर्थात् फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और जन्तुओं को मारने में कुल छिड़के गये ज़हर का 2% ही उपयोग होता है। बाकी का ज़हर बारिश के पानी के साथ मिट्टी में घुलकर तालाबों और नदियों के पानी में आ जाता है। फिर यह जहरीला पानी मनुष्यों और जानवरों द्वारा इस्तेमाल होता है। हम जानते हैं कि तालाबों और नदियों का पानी भूमि के अन्दर भी रिसकर भूगर्भ जल में मिल जाता है। अतः भूगर्भ जल और भूमि के ऊपर उपलब्ध जल जहरीला हो रहा है। जब जहरीले कीटनाशकों का फसलों पर छिड़काव किया जाता है तो बहुत सारा ज़हर हवा में भी घुल जाता है, और हवा को भी जहरीला बनाता है।

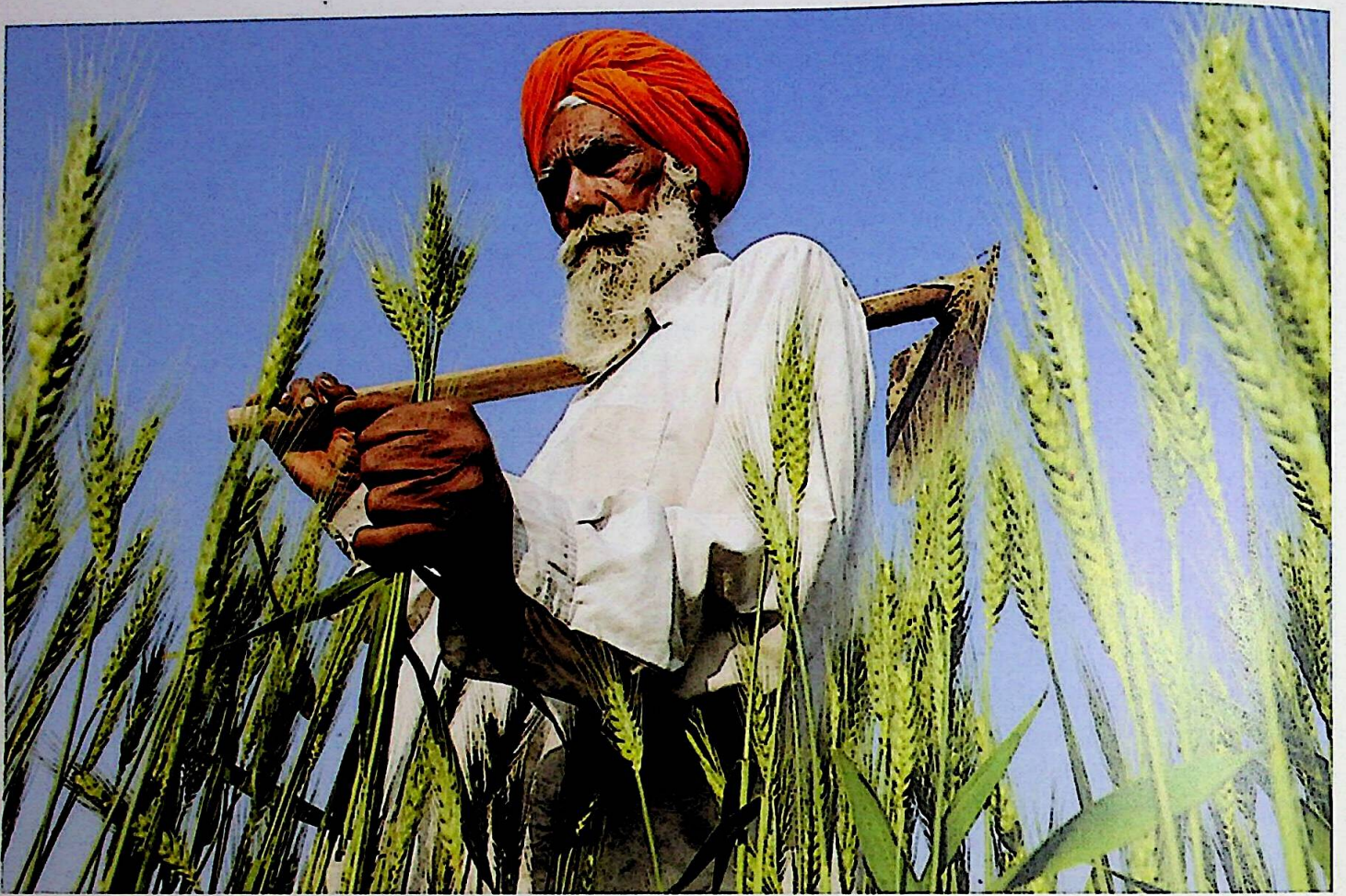


भारत की खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद प्रयोग में लाए जाते हैं। ये दूसरे किस्म के जहरीले रसायन हैं जो हमारे पानी और हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। भारत में हर साल 1.90 करोड़ मीट्रिक टन (एक मीट्रिक टन = 10000 किलोग्राम) रासायनिक खेतों में डाला जा रहा है। रासायनिक खादों का भी मात्र 2% ही फसल को बढ़ाने के काम में आता है। बाकी का डाला गया रासायनिक खाद मिट्टी - पानी और हवा में जहर बढ़ाने के ही काम आता है।

अब इस गंभीर समस्या को हल करने का एक ही रास्ता है कि भारत की खेती को जहर मुक्त किया जाए। इसके लिये भारतीय खेती को पूरी तरह से जैविक बनाना होगा। भारतीय ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध गोबर-गोमूत्र या अन्य जानवरों के मल-मूत्र को खाद और कीटनाशक के रूप में उपयोग करना होगा। पेड़-पौधों और फसलों से मिले कचरे का उपयोग करके जैविक खाद (कम्पोस्ट) बन सकती है। जानवरों के मल-मूत्र और पेड़-पौधों तथा फसलों के कचरे से बनने वाली खाद में भी भरपूर उत्पादन क्षमता होती है। मिट्टी को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे सभी गोबर, गोमूत्र, पेड़-पौधों तथा फसलों के कचरे से मिल जाते हैं। इसलिए यह जैविक खाद बहुत उपयोगी होती है, इस तरह से बनने वाली जैविक खाद सस्ती भी बहुत होती है। भारत के किसानों का लागत खर्च घटाने और उत्पादकता बढ़ाने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। अनाज और फल-सब्जियों की पोषकता भी इस तरीके से बढ़ती है। मिट्टी में फसलों की मदद करने वाले जीवाणुओं की संख्या भी जैविक खाद के उपयोग से बढ़ती है। मिट्टी लगातार नरम होती जाती है और फिर मिट्टी में पानी को सोखने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इस तरह जैविक खेती को बढ़ावा देने से भारत की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक तरफ खेती की लागत घटती है और उत्पादकता बढ़ती है तो दूसरी ओर मिट्टी की पोषकता और नरमी बढ़ती है, जिसके कारण वर्षा का पानी अधिक मात्रा में और गहराई तक जाता है। इससे भारत में बाढ़ की समस्या से किसी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। भारत में गत 40 वर्षों से लगातार यूरिया, डी. ए. पी., सुपरफास्फेट जैसी रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी पत्थर जैसी कठोर होती जा रही है। इस कारण थोड़ी सी भी बारिश होने से खेतों में पानी भर जाता है। यह भरा हुआ पानी मिट्टी के कठोर होने से भूमि में नीचे नहीं रिसता है बल्कि खेतों से बाहर बह कर नदियों में मिल जाता है। नदियों का पानी अन्त में समुद्र में मिल जाता है। अतः जो बारिश का पानी मिट्टी से रिसकर भूगर्भ जल में मिलना चाहिए था, वह समुद्र में जाकर बेकार हो रहा है। इस पानी से ही बाढ़ की स्थिति बनती है।

आज दुनिया के सभी बाजारों में जैविक खाद्य पदार्थों की मांग लगातार बढ़ रही है। कई देशों ने अपने-अपने कृषि भूभाग पर जैविक खेती का अभियान शुरू किया है। इसके चलते जहरीले रसायनों का उत्पादन और फसलों

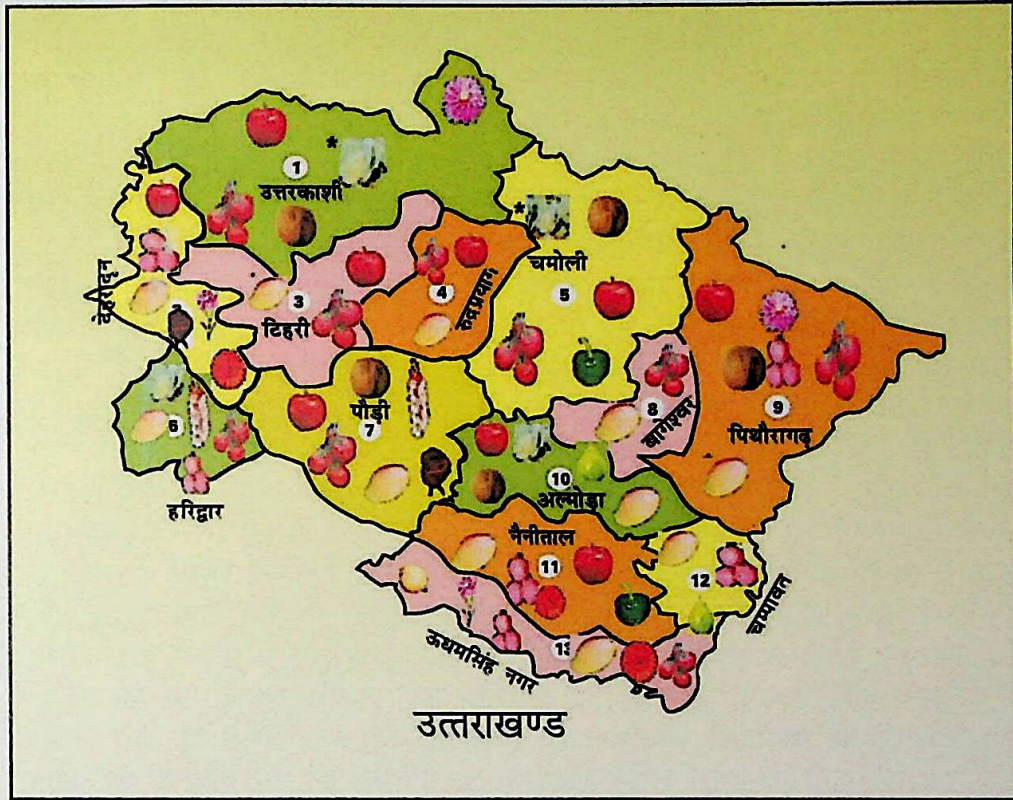




पर उनका प्रयोग कई देशों ने प्रतिबन्धित किया है। दुनिया के अमीर देशों में यह जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। इसलिये जैविक खाद्य वस्तुओं का बाजार लगातार बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में 500 अरब डालर का बाजार जैविक खाद्य वस्तुओं का है। इतने बड़े बाजार के लिये आपूर्ति करने की क्षमता भारत की भूमि में है। इसके अतिरिक्त भारत देश के अन्दर ही लगभग 100 अरब डालर (5,00,000 करोड़ रुपये) का जैविक खाद्य वस्तुओं का बाजार हो सकता है। इसको चुनौती मानकर यदि काम किया जाये तो यह लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। इस कार्य के लिए देश के किसानों को जागृत एवं प्रशिक्षित करके उनके उपज को बढ़ाकर कृषकों को अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। मंहगे हों कृषिकरण के साधन, सस्ते निकले अनाज, आत्म हत्या या बदहाली के लिए मजबूर न हो किसान, सबका हो समाधान यही है पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क का लक्ष्य। हरित् क्रान्ति के नाम पर देश के साथ जो छलावा हो रहा है। हमारी परम्परागत कृषि खाद्यान्न की विविधता को समाप्त कर जिस तरह से फल, गेहूँ, धान केन्द्रित फसलों को प्रोत्साहित किया गया उस भ्रम को तोड़कर विभिन्न खाद्यान्नों को उपजाने की परम्परा को प्रोत्साहित करके, उनके सेवन के विषय में लोगों को जागृत किया जायेगा। जिससे बंजर व ऊसर भूमि में कम पानी वाली भूमि में पैदा होने कृषि उपजों का भी किसानों को भरपूर मूल्य प्राप्त हो तथा स्वास्थ्यदायक व पौष्टिक महत्व वाले आहार का सेवन करके देशवासी स्वस्थ व निरोग होंगे। शुद्ध आहार व हानिरहित कम लागत व अधिक मुनाफा वाले सिद्धान्त को अपनाकर "जीरो बजट कृषि" को बढ़ावा देकर कृषि समृद्धि को बढ़ाना। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क इस जैविक खेती के लक्ष्य में अपना विनम्र योगदान देना चाहता है इसलिये जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना है। जिससे देश को स्वस्थ, समृद्ध व खुशहाल बनाया जा सके।

उत्तराखण्ड में फूड पार्क की स्थापना के निहितार्थ

उत्तराखण्ड देवभूमि ऋषियों की तपस्थली व प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठापित रही है, इसी पूण्य भूमि से सलिला माँ भगवती गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से योग यात्रा प्रारम्भ होकर पूरे विश्व में पहुँचने का श्रेय स्वामीजी को जाता है। उसका केन्द्र है हरिद्वार की यह भूमि इसलिए योग, आयुर्वेद क्रान्ति के बाद कृषि क्रान्ति के शंखनाद के लिए इससे पवित्र कौन सा स्थान हो



सकता था? पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क में न केवल उत्तराखण्ड अपितु उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात सहित पूर्वोत्तर व सुदूर दक्षिण भारत तक के फल व खाद्यान्न एवं सब्जियों को लाकर प्रोसेसिंग एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य-आहार निर्माण की वृहत् योजना है। उत्तराखण्ड की दृष्टि से विचार करते हैं तो सकल कृषि उपज को भी यदि मिला दिया जाये तब (कुछ उपज जो अभी हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें छोड़कर) भी मात्र तीन माह का ही कच्चा माल (कृषि उपज) उपलब्ध हो सकेगा ऐसी स्थिति में आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि फूड पार्क से कितना बड़ा बाजार किसान भाईयों के लिए तैयार हो रहा है। इससे हिमालय के गोद में बसा यह प्रदेश पुनः आबाद होगा। यहाँ का पलायनवाद रुकेगा। हजारों हैक्टेयर भूमि जो बंजर पड़ी है पुनः उसमें हरियाली व खेतीबाड़ी लहराएगी। उसकी उपज से किसानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार होगा, कृषि कार्य के लिए विविध योजनाएँ बनेंगी, हम कल्पना कर सकते हैं कि उत्तराखण्ड की यह क्रान्ति किस तरह से सम्पूर्ण देश की कृषि व उससे जुड़ी हुई व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालने वाली है।

प्रसंस्करण के अभाव में देश में बड़ी मात्रा में किसानों के पुरुषार्थ व परिश्रम से पैदा होने वाला अनाज, सब्जियाँ और फल खराब हो जाते हैं, क्योंकि देश के पैदा होने वाले कृषि उपज में से उत्पादन का लगभग दो प्रतिशत भाग ही व्यावसायिक रूप से प्रसंस्कृत हो पाता है। फसलोत्तर प्रबंधन से जुड़े विषय, जैसे ग्रेडिंग, छटाई, पैकिंग, प्रसंस्करण, परिवहन एवं विपणन में काफी कुछ किया जाना शेष है। देश में कृषि को एक लाभकारी उद्योग में परिवर्तित किया जा सकता है यदि कृषि व्यापार के विभिन्न अवयवों में बुवाई के चरण से लेकर अंतिम बिक्री तथा उपभोग चरण तक एक समग्र समन्वय हो। इससे न केवल पूरी प्रणाली क्रियाशील होगी, बल्कि उसमें गतिशीलता तथा कुशलता भी आएगी। खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य उद्देश्य फसलों के वर्तमान उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणवत्तायुक्त वृद्धि करना है। तत्पश्चात् उत्पादित उत्पाद का मूल्य संवर्धन, कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करना, मार्केटिंग लिंकेज की स्थापना कराना, नवीन उद्यमियों को तैयार करना एवं रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाना आदि कार्य करना है।

भारत में कृषि एवं उसकी स्थिति

जहाँ स्वतंत्रता के समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 70 प्रतिशत था तथा कुल रोज़गार में इसकी भागीदारी 85 प्रतिशत थी। उसके बाद से ही देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की भागीदारी क्रमिक रूप से गिरती जा रही है। वर्तमान में, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 18 प्रतिशत है, परन्तु अब भी लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या इसमें लगी हुई है। कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत वृद्धि दर में भी कमी आई है। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि देश को सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8 प्रतिशत तक बनाए रखनी है तो, कृषि क्षेत्र को कम से कम 4 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी। देश में कृषि क्षेत्र में वृद्धि के लिए अपार संभावनाएँ हैं, यहाँ लगभग 184 मिलियन हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है तथा विविध कृषि जलवायु हैं, जो व्यापक किस्म की फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त है। उत्पादकता में निश्चित रूप से सुधार करने की आवश्यकता है, अब तो यह और स्पष्ट होता जा रहा है कि स्पन्दनशील खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ही खेत स्तर पर कीमतों को बढ़ा सकता है, जिससे आय का स्तर बढ़ेगा, बर्बादी में कमी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत में प्रतिवर्ष 105 मिलियन टन दूध (विश्व में सबसे ज्यादा), 150 मिलियन टन फल एवं सब्जी (विश्व में दूसरा स्थान), 485 मिलियन पशुधन (सबसे अधिक) और 230 मिलियन टन खाद्यान्न (विश्व में दूसरा स्थान) का उत्पादन होता है। भारत का कृषि उत्पादन आधार काफी मजबूत है लेकिन यहाँ भारी मात्रा में कृषि उपज की बर्बादी भी होती है। विकासशील देशों में 60-70 प्रतिशत प्रसंस्करण की तुलना में यहाँ प्रसंस्करण स्तर बहुत निम्न है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका (65 प्रतिशत), फिलिपिंस (78 प्रतिशत) तथा चीन (23 प्रतिशत) जैसे देशों की तुलना में फल एवं सब्जी में लगभग 2.2 प्रतिशत, जलीय खाद्य में 26 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन किया जाता है। प्रसंस्कृत खाद्य के संबंध में विश्व व्यापार में भारत का अंशदान लगभग 1.5 प्रतिशत ही है। यहाँ तक कि देश में ही अन्य कृषि उत्पादों जैसे दूध (35 प्रतिशत) तथा जलीय उत्पादों (26 प्रतिशत) की तुलना में प्रसंस्कृत फल एवं सब्जियों की भागीदारी बहुत कम है। इससे भी बड़ी बात यह है कि फल और सब्जियों के प्रसंस्करण और भण्डारण की कमी के परिणामस्वरूप लगभग 35 प्रतिशत की भारी बर्बादी का अनुमान लगाया गया है जिसकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपये वार्षिक है।



**वर्तमान में, सकल
घरेलू उत्पाद में
कृषि का योगदान
लगभग १८ प्रतिशत
है, परन्तु अब भी
लगभग ७० प्रतिशत
जनसंख्या इसमें लगी
हुई है।**



विकसित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग न केवल बर्बादी को ही कम करेगा बल्कि किसानों की होने वाली लाभप्रद आय को भी बढ़ाएगा, जो कि वर्तमान में कृषि क्षेत्र के समक्ष एक अन्य समस्या है। वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र लगभग 13 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष और 35 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है। वर्ष 2004-05 में, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र ने विनिर्माण संबंधी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14 प्रतिशत अंशदान दिया जिसका सालाना मूल्य लगभग 2,80,000 करोड़ रु. है। इसमें से असंगठित क्षेत्र का योगदान, मात्रा की दृष्टि से 70 प्रतिशत से अधिक और मूल्य की दृष्टि से 50 प्रतिशत है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ शीतशृंखला, पैकिंग और ग्रेडिंग केंद्रों जैसी पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का उपलब्ध न होना, पर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण की बुनियादी सुविधाओं का अभाव, अक्षम आपूर्ति शृंखला, कृषि उपज की प्रसंस्करण योग्य किस्मों का अभाव, कच्चे माल की उपलब्धता का मौसमी होना, माल ढोने की उच्च लागत, उच्च कराधान, पैकेजिंग की अधिक लागत भुगतान-सामर्थ्य और सांस्कृतिक आदतों के कारण ताजे फल और सब्जियों के उपभोग को प्राथमिकता देना आदि है। प्रसंस्करण सुविधाओं में संगत निवेश किए बिना भारतीय कृषि उपज को बढ़ाने का कार्यक्रम भ्रमित करने वाला होगा जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कष्ट बढ़ेंगे तथा किसानों की आय में कमी होगी। किसानों की मोल-भाव करने की क्षमता तथा उसकी आर्थिक धारणीयता को सुधारने का एक मात्र महत्वपूर्ण कदम यह है कि उसकी उपज का मूल्यवर्द्धन किया जाए तथा उसे बाजार की जरूरतों और मानकों के अनुसार उत्पादन करने के समर्थ बनाया जाए। प्रसंस्करण उद्योग और खुदरा विक्रेता कृषि उपज के लिए आवश्यक मांग उपलब्ध करा सकते हैं और किसानों के लिए बाजार संबंधी सूचना, प्रौद्योगिकी और निवेश के प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि वह बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन कर सकें और इस प्रकार अपनी आय और रोजगार के स्तर को ऊपर उठा सकें।

पतंजलि फूड पार्क की परिकल्पना, चुनौतियाँ तथा लक्ष्य

यद्यपि कृषि विकास की खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है किन्तु अलग-अलग क्षेत्रों, फसलों एवं कृषक समुदायों के विभिन्न वर्गों का संतुलित विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका है। बहुत ही छोटी जोतों के साथ-साथ कम उत्पादकता, अधिक उत्पादन लागत, फसलोत्तर प्रबन्धन तथा प्रसंस्करण की कमी के कारण देश में कृषि एक अलाभकारी व्यवसाय बन कर रह गया है। कृषक कृषि को छोड़कर दूसरे लाभ वाले धन्धों की खोज में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हाल में ही हुए विश्व व्यापार समझौते के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के आ जाने के कारण कृषि में उत्पादन लागत को कम करते हुये गुणवत्तायुक्त उत्पादन प्राप्त करना देश के समक्ष एक चुनौती है। निरन्तर बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन, अनियोजित औद्योगीकरण व नगरीकरण, नदियों, झीलों, तालाबों तथा खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग व बढ़ते उपभोक्तावाद के कारण वायु, जल, मृदा व ध्वनि प्रदूषण, भूक्षरण, भूस्खलन, चारे और ईंधन की कमी जैसी विविध बहुआयामी एवं दूरगामी प्रभाव वाली समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। देश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र प्रायः सीमित है, अतः उसका विस्तार आंशिक रूप से ही संभव है, किन्तु श्रम, पूँजी एवं कृषि ज्ञान की सहायता से गुणवत्तायुक्त उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। कृषि क्षेत्र में प्रचलित ऊर्जा स्रोतों के साथ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संसाधनों के उपयोग से एक ओर प्रचलित ऊर्जा स्रोतों पर दबाव कम होगा साथ ही कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है जिससे कृषकों की सकल आय में वृद्धि हो सकेगी। इन समस्त ज्वलन्त मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संकल्पना है।

- * देश के आम नागरिकों की सुरक्षित, स्वच्छकर और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादन एवं पोषक तत्वों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
- * विश्व व्यापार संगठन के परिप्रेक्ष्य में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पादन एवं कृषि उत्पादों की लागत में कमी लाकर समाज के अधिकांश लोगों को पौष्टिक खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराना।
- * प्राकृतिक संसाधनों के विकास, संरक्षण एवं इनका समुचित एवं तर्कसंगत उपयोग करके इसके लिए उच्च उत्पादकता वाले प्रतिस्पर्धी व गुणवत्ता वाले उत्पाद को देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना।



पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क

- * पर्यावरण संतुलन को बनाये रखते हुए स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित कराना। पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धतियों का विकास करना जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। पेस्टिसाइड व जहरीली दवाईयाँ व मंहगे लागत मुक्त "कम लागत" वाली खेती को प्रोत्साहित करना।
- * निर्बल लघु एवं सीमान्त कृषकों के हितों के संरक्षण हेतु जोतों को लाभकारी बनाना। उनके आर्थिक सबलता के लिए कम लागत वाले कृषि एवं जड़ी बूटियों के कृषिकरण को प्रोत्साहित करना।
- * कृषकों को ग्रामीण स्तर पर आय एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराते हुए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कृषि आधारित उद्योग विकसित करना है जो मूल्य वर्धन के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में उच्च आय के साधन व रोजगार में वृद्धि करे।
- * कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मानकों का प्रोत्साहन कर मूल्य संवर्धन के द्वारा कृषि उत्पाद मूल्य में वृद्धि करके लागत को कम करना तथा उस कार्य के सम्पादन के लिए परम्परागत कृषि व्यवस्था व परम्परागत ज्ञान को साथ रखकर करना।
- * संविदा कृषि को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए देशी उन्नत बीज, जैविक, उर्वरक, कृषि यंत्रों तथा प्रसार क्षेत्रों में अवस्थापनाओं का विकास करके राष्ट्र के किसानों के हित को सर्वोपरि मानते हुए देश सहित सम्पूर्ण विश्व के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने वाले खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराकर विश्व को स्वस्थ बनाने के संकल्प को साकार करना।
- * समाप्त होती कृषि भूमि को बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था व नियम बनाने के लिए सरकार को प्रेरित करना जिससे खेतीहर भूमि को अन्धाधुन्ध रूप से आवास व उद्योग आदि उपयोग में नहीं लाया जा सके जिससे कृषि योग्य भूमि बची रहे। कृषि योग्य भूमि को बेचकर अधिकांश किसानों के जीवन में विनाशीयता व अकर्मण्यता पैदा होती है, भूमि से प्राप्त पैसा समाप्त हो जाने के बाद वह भूमिहीन बेरोजगार व्यक्ति बन जाता है (जहाँ शहरों का विस्तार हुआ या हो रहा है। ऐसे किसानों के जीवन में इस सत्य को जानने के लिए जहाँ शहरों का विस्तार हुआ है या हो रहा है, सर्वे करने से पता लग सकता है।)
- * मोटे अनाज मक्का, बाजरा, चना, चौलाई, मंडवा आदि अनाजों के पोषक तत्वों के प्रति लोगों के जागरूक करके उनके सेवन के लिए प्रेरित करना जिससे उस बाजार व कम पानी के भूमि में पैदा होने वाले अनाज का ज्यादा बाजार मूल्य किसानों को प्राप्त हो तथा देश के लोग स्वस्थ हो।





- * पेस्टिसाईड व अनेक केमीकलों का अन्धाधुन्ध प्रयोग को रोककर स्वास्थ्य कारक कृषि को प्रोत्साहित करना।
- * जल संरक्षण के विधाओं को प्रचारित व उसके विषय में लोगों को जागरूक करना।
- * वैकल्पिक ऊर्जा व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, स्वच्छ व सदाचार पूर्ण जीवन, पौष्टिक व प्राकृतिक आहार के प्रति लोगों को प्रेरित करना।

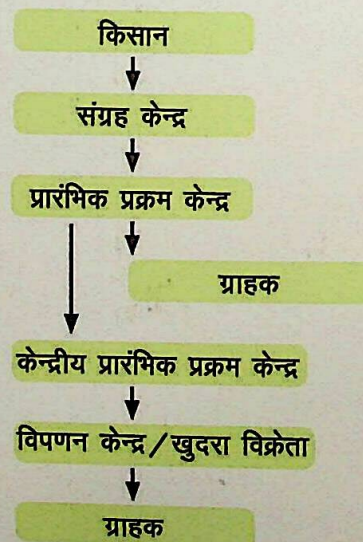
पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लिमिटेड

(पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना)

(ताजे कृषि उत्पादों की परंपरागत आपूर्ति शृंखला)



(ताजे कृषि उत्पादों की पतंजलि आपूर्ति शृंखला)



पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क की किसानों के हित में योजनायें

9. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास

खाद्य उत्पादों के परिरक्षण एवं पैकेजिंग हेतु नए उत्पादों तथा नई लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों का विकास करना विभिन्न घटकों जैसे योगजों, कलरिंग एजेन्टों, परिवर्धकों, परिरक्षक कीटनाशक अवशेष आदि का मानकीकरण करना। किसी भी तरह के जीवाणु, विषाणु युक्त आहार लोगों तक न जाए उसके लिए अतिउच्च गुणवत्ता युक्त अत्याधुनिक मशीनों, लैब उपकरणों से सुसज्जित लैब (परीक्षणशाला) का निर्माण पतंजलि फूड पार्क में किया गया है जिससे कृषि उपज से सम्बन्धित सभी तरह के परीक्षण एवं उन कृषि उपज का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर गहन अध्ययन व अनुसंधान किया जा सके। अनुसंधान के द्वारा कृषि उपज व जड़ी-बूटियों के गुणों की अभिवृद्धि व अनेक रोगों में उसके प्रभाव का भी अध्ययन किया जायेगा।

आयुर्वेद को विश्व स्तर पर औषध की मान्यता दिलाने हेतु इसके गहन अध्ययन बॉटनी, माइक्रो बायोलॉजी, केमेस्ट्री, एनीमल ट्रायल फार्माकॉलोजी, क्लीनिकल ट्रायल आदि की व्यवस्था व अनुसंधान का कार्य भी फूड पार्क के द्वारा किया जायेगा।

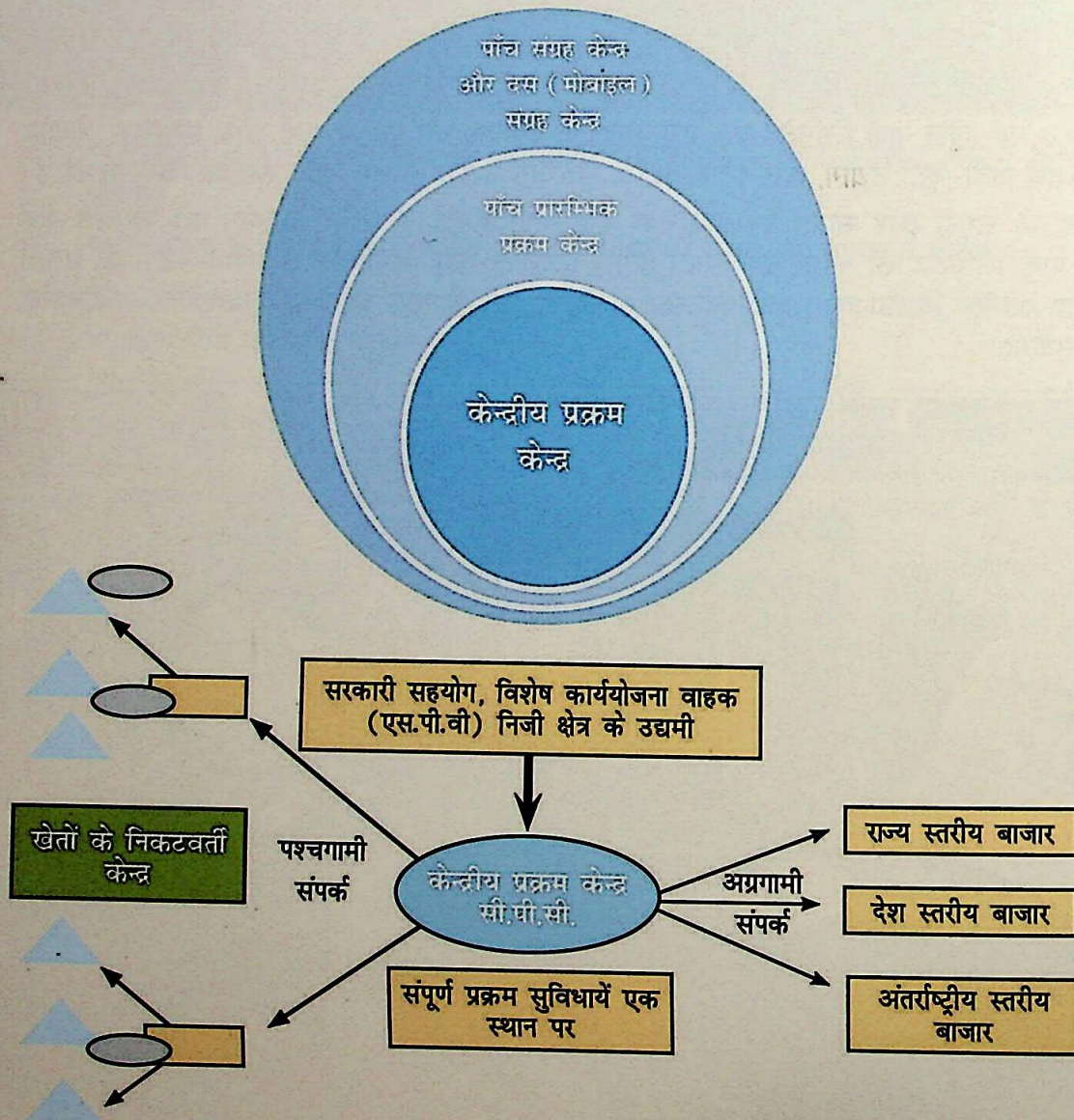
सम्पूर्ण देश की भयानक अवस्था मिलावटी खाद्य, हानिकारक व गुण रहित खाद्य आदि के संदर्भ में लोगों में जागरुकता पैदा करके बाजार में उपलब्ध खाद्य सामग्रियों का गहन परीक्षण व देश वासियों को उसके लिए जागरुक करने का कार्य भी किया जायेगा।

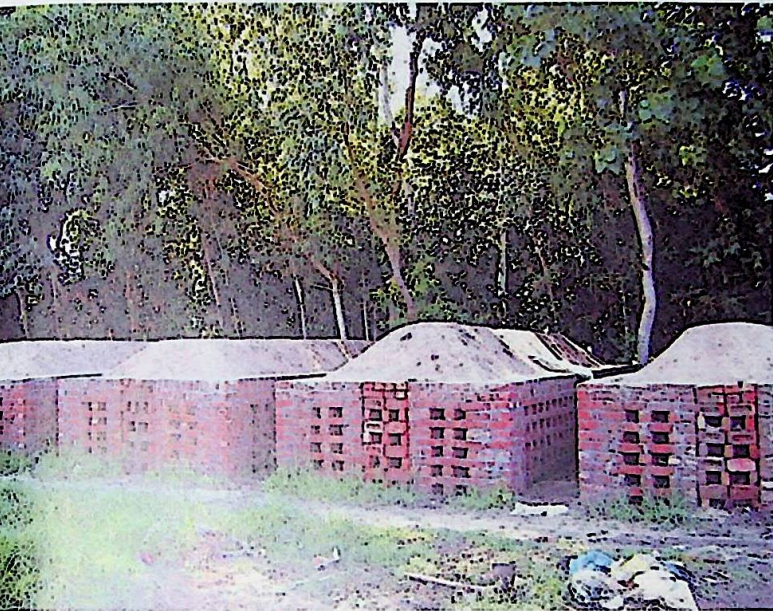
- * पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लिमिटेड एक ऐसे केन्द्र की स्थापना कर रहा है जहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ-साथ जड़ी-बूटी उद्योग, कास्मेटिक उद्योग, पैकेजिंग उत्पाद उद्योग आदि स्थापित किये जा रहे हैं।
- * उत्तराखण्ड की समृद्ध कृषि संपदा एवं प्राकृतिक जड़ी-बूटी संपदा के उचित उपयोग हेतु पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लिमिटेड की महती उपयोगिता होगी। इससे न सिर्फ 30 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर मिलेगा वरन कृषि विपणन, मंजदूरी आदि से जुड़े लोगों को स्वरोजगार का अवसर प्राप्त हो सकेगा।



- * फूड पार्क के माध्यम से खाद्य पदार्थों को उचित रूप से प्रसंस्कृत कर स्वास्थ्यप्रद बनाने के साथ-साथ, उत्तराखण्ड सहित भारत के अन्य हिस्सों में जड़ी बूटी कृषिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे अनैतिक रूप से दोहन की जा रही जड़ी-बूटी संपदा का संरक्षण किया जाएगा।
- * कृषकों के पलायन को रोकने हेतु जागरुकता लाने हेतु समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाएगी।
- * उपभोक्ताओं में स्वास्थ्यप्रद प्रसंस्कृत उत्पादों के उपयोग एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोल्डड्रिंक्स, पीजा, बर्गर आदि को छोड़ने हेतु जागरुकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे।

पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लिमिटेड, पदार्था, हरिद्वार (नियोजन अवधारणा)





नेडप विधि से खाद तैयार करने की क्रिया



वर्मी कम्पोस्ट खाद

२. प्राकृतिक संसाधन का उचित उपयोग एवं पर्यावरण प्रबंधन को प्राथमिकता

कृषि के लिये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को तकनीकी दृष्टि से उचित, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी, पर्यावरण हितैषी तथा सामाजिक दृष्टि से व्यावहारिक एवं दीर्घकालिक बनाया जायेगा।

- जिसके अन्तर्गत परम्परागत जैविक खाद के संरक्षण को भी वैज्ञानिक बनाने के लिए जोर दिया जायेगा। सड़कों के किनारों पर या अव्यवस्थित रूप से गोबर खाद को इधर-उधर डालने की परम्परा से देश में प्रदूषण की अभिवृद्धि हो रही है। उस खाद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नेडप विधि (गड्ढों में खाद को तैयार करने की विधि) से खाद की गुणवत्ता की कई गुणा अभिवृद्धि की जा सकती है। उक्त संदर्भ में जानकारी प्रदान करना व उसके लिए देश के लोगों को जागरुक करना।



2. सड़ी गली पत्तियां व अन्य निरुपयोगि खाद वस्तुओं (एग्रोवेस्टेज) को थोड़ा सा मिनरल्स मिलाकर किस तरह से उपयोगी खाद का निर्माण किया जा सकता है इसके लिए लोगों को जागरूक करना।
3. वर्मी कम्पोस्ट-कैचुएँ की खाद तैयार करने के विषय में किसानों को जागरूक करके उसके लिए प्रोत्साहित करना व प्रशिक्षण देना। उसके लिए उन्हें आवश्यक संसाधन कैचुआ व उसकी तकनीक उपलब्ध कराना।
4. भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण, सम्बर्द्धन व पंचगव्य आधारित औषधि निर्माण अनुसंधान के विषय में बताना। इसके अन्तर्गत पतंजलि योगपीठ अभी लाखों रुपये का गोमूत्र व गो अर्क प्रतिमाह किसानों से खरीदता है। जो निरर्थक वस्तु थी, आज वह लाखों लोगों को नया जीवन दे रही है तो किसानों की आर्थिक समृद्धि का कारण बनी हुई है। इसको और व्यापकता के साथ जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प है। गो को ऋषियों ने उसके उपकारी गुणों से ही माँ की संज्ञा दी, हमें उसकी वैज्ञानिकता व अनुसंधान से सिद्ध करके लोगों को बताना होगा।

३. पर्यावरण प्रबंधन व जैविक कृषि अनुसंधान

देश में प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि, जल एवं जैविक सम्पदा का स्थायी/अस्थायी रूप से ह्रास हो रहा है। पारंपरिक एवं विलुप्त होते पादप किस्मों/प्रजातियों को स्वस्थान एवं परस्थान (ex-situ) से एकत्रित कर संरक्षण किया जायेगा, जिसके लिए प्रदेश में जीन बैंकों की स्थापना की जायेगी तथा भविष्य में संरक्षित जननद्रव्यों का जैव प्रौद्योगिकी एवं अन्य प्रजनन विधियों में प्रयोग कर फसलों की अधिक उत्पादन एवं कीट-रोग प्रतिरोधी प्रजातियों के विकास में प्रयोग किया जायेगा। आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आयरन एवं अन्य हानिकर तत्वों से प्रभावित भूजल क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर लागत प्रभावी तकनीकों के विकास हेतु अनुसंधान किया जायेगा, तदनुसार उनके उपयोग की नीति बनाई जायेगी। मृदा एवं जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु रसायनिक उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों के अंधाधुन्ध प्रयोग को सीमित करने के लिये एकीकृत फसल प्रबन्धन तकनीक को प्रोत्साहित किया जायेगा। शहरी गंदे पानी, विभिन्न औद्योगिक अपशिष्टों एवं अवशेषों को चिन्हित कर इसके सुरक्षित निस्तारण/उपयोग पर बल दिया जायेगा। इसके लिए जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे देश की जनता का स्वास्थ्य ठीक हो, देश का भविष्य सुरक्षित हो। जहरीली होती जमीन व विषाक्त जल एवं प्रदूषण युक्त वायु से देश को बचाया जा सके। इसके लिए जैविक उत्पादों की गुणवत्ता को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर तक पहुँचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।



४. जैविक अवशिष्टों के मूल्यवर्धन हेतु परियोजना

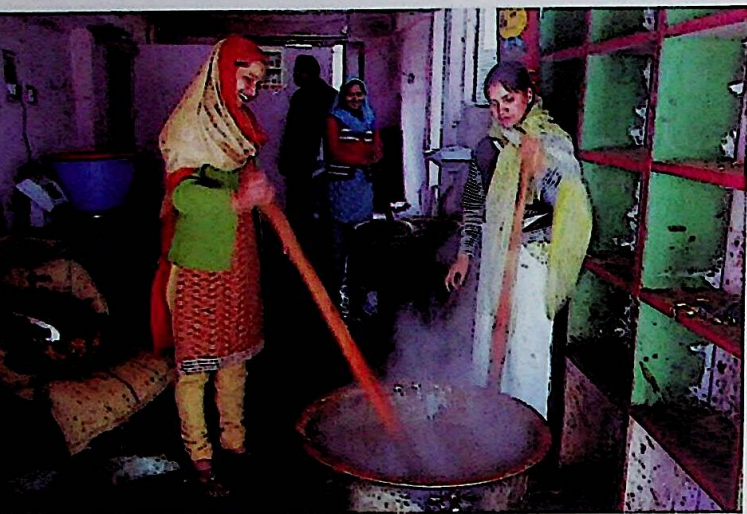
फसलों के अवशिष्टों का उपयोग विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों को तैयार करने में किया जायेगा। पतंजलि फूड पार्क द्वारा खाद्य प्रसंस्करण से प्राप्त अपशिष्टों के मूल्यवर्धन हेतु बायोगैस एवं कैप्टिव पॉवर प्लांट की स्थापना की जा रही है। सम्भवतः यह देश का पहला संस्थान है जहाँ कृषि के अपशिष्ट (वेस्टेज मैटीरियल) द्वारा सम्पूर्ण कारखाना को चलाने की योजना बनाई गई है। आंवला, लौकी, गाजर, घृतकुमारी आदि के अवशेष (छिलका व फोक) द्वारा बायलर को चलाया जायेगा। उसके स्टीम (उष्णवाष्प) से सम्पूर्ण औषधि निर्माण में अग्नि (ताप) की प्राप्ति होगी और बचे हुए अवशेष के द्वारा बायोगैस बनाकर उससे विद्युत प्राप्त किया जायेगा उस विद्युत को फूड पार्क चलाने में प्रयुक्त किया जाएगा, जो अवशेष निकलेगा वह उन्नत जैविक खाद के रूप में किसानों को प्राप्त होगा जिसके द्वारा किसान अपने उपज को पैदाकर पुनः फूड पार्क पहुँचाएंगे। विश्व की अत्याधुनिक व नवीनतम टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लगाया जा रहा है जो पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी। विश्व में खाद्य प्रसंस्करण व उन्नत तकनीकी की जब भी बात की जायेगी तब पतंजलि फूड पार्क का नाम अग्रिम पंक्ति में शामिल होगा।

५. खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन एवं सुधार

खाद्य उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। मौजूदा विश्व बाजार में, खाद्य निर्माण करने और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले उद्यमियों के लिए गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए, बदलते वैश्विक व्यापार माहौल में आईएसओ 14000, आईएसओ 22000 गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों की स्थापना और हैजर्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणाली अत्यधिक वांछनीय है। इसको ध्यान में रखते हुए पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क ने सम्भवतः विश्व का वृहत्तम व देश का प्रथम यू.एस.ए., एफ.डी.ए. स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की है जिससे हमारी देश की उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उचित मूल्य प्राप्त हो सके उसके लिए अति विशाल व उन्नत किस्म के क्लिन रूम व पैकिंग व्यवस्था के लिए मशीनों को लगाया गया है।

कृषि की वृद्धि दर में गति लाने, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने एवं वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में कृषि उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था को अधिक उदार बनाने के उद्देश्य से कृषि में संस्थागत एवं प्रबंधन संबंधी बदलाव आवश्यक हैं। देश में छोटी एवं सीमान्त जोतों की संख्या बहुत ही अधिक होने के कारण ऐसे बदलाव आवश्यक होंगे, जिनसे इन छोटी जोतों की उत्पादकता बढ़ाकर अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। इस दिशा में पतंजलि फूड पार्क निरन्तर संलग्न है।





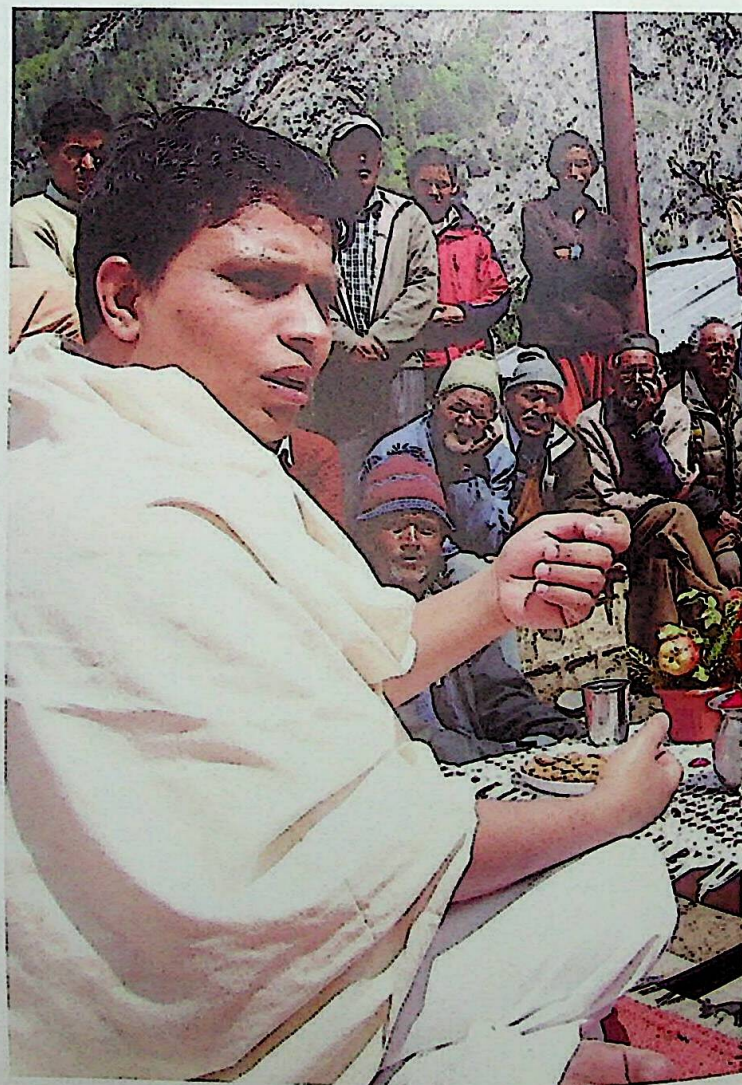
६. मल्टी चैम्बर शीतगृह की स्थापना

जल्दी खराब होने वाली उपज के उत्पादन की वृद्धि दर सामान्य कृषि से अनुमानतः दुगुनी है। तदनुसार जल्दी खराब होने वाली उपज के भण्डारण, जिससे उसकी बर्बादी न हो और साथ ही मौसम न होने पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति पर विपरीत असर न पड़े, की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मल्टी चैम्बर शीतगृहों की नितांत आवश्यकता है जिससे तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्रेडिंग, पैकिंग, यातायात, शोधन, फलों को पकाना तथा उनका भण्डारण आदि क्रियायें आती हैं। ये सुविधायें आम के साथ-साथ अन्य औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, उनकी मार्केट में मांग बढ़ाने तथा हानि को कम करने के लिए आवश्यक है। फूड पार्क के अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादों, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्री कूलिंग उपरान्त मल्टी चैम्बर शीतगृहों की स्थापना की गयी है साथ ही फूड पार्क के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में भी शीतगृह स्थापित किये जाने की योजना है जिससे किसानों के खून-पसीने से पैदा की गयी उपज को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा।

तैयार सामान को भी सुरक्षित रखने के लिए उनको बड़े-बड़े कन्टेनर व पात्रों में डालकर शीतगृह में रखा जायेगा। क्योंकि जो कृषि उपज आंवला, गेहूँ का ज्वारा, लौकी आदि जो सीजन में प्राप्त होते हैं, उन्हें बारहों महीना गुणवत्ता युक्त ढंग से लोगों तक पहुँचाया जाये इसके लिए पतंजलि आयुर्वेदिक एवं फूड पार्क में विशालतम शीत गृहों का निर्माण किया है।

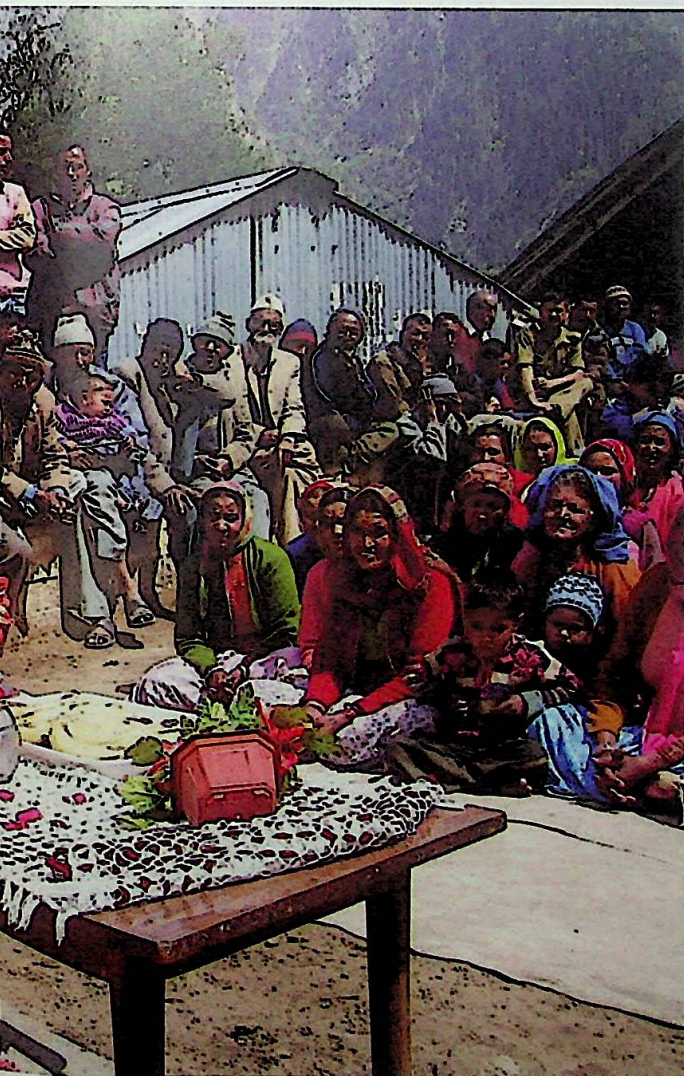
७. तकनीकी हस्तांतरण का सुदृढीकरण

कृषि के समग्र विकास में कृषि प्रसार सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। विभिन्न प्रसार संस्थाओं, सेवाओं तथा प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि से संबंधित नवीनतम तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाने हेतु चलाये जा रहे प्रसार कार्यक्रमों को और सुदृढ किये जाने हेतु पहल किये जाने की आवश्यकता है।





पतंजलि फूड पार्क बाजार की आवश्यकतानुसार उत्पादन एवं उत्पादों के विपणन में आ रही कृषकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कृषि प्रसार पद्धति को माँग एवं विपणन आधारित करने पर बल देगा। कृषकों की समस्याओं के चिन्हांकन हेतु कृषि प्रसार प्रणाली में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत समस्याओं का निर्धारण एवं इनके अनुसार उपयुक्त तकनीकी का चिन्हांकन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा फीड बैक आदि पर कार्य योजना तैयार किये जाने पर बल दिया जायेगा।



ग्रामीण स्तर पर कृषक समूहों जैसे कृषक सहकारी समितियों, स्वयं सेवी समूह, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, कृषक उत्पाद समूह (कॉमोडिटी एसोसिएशन) का गठन कर कृषि प्रसार कार्यक्रमों को एकल कृषक के स्थान पर लाभार्थी समूहों तथा स्वयं सेवी समूहों के माध्यम से किये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि कृषकों को अपने उत्पादों के विपणन तथा आवश्यक ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

८. खाद्य प्रसंस्करण हेतु देश की जनता व सरकार से समन्वय एवं कृषक हितैषी विपणन व्यवस्था

कृषि/उद्यान विकास क्षेत्रों को पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क से समन्वित किया जायेगा ताकि इनका अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन केन्द्र की स्थापना की दिशा में केन्द्र सरकार से समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा भारत सरकार की संस्थाओं जैसे एपीडा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमियों को लाभ देने के लिये सम्बन्धित संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु सरकार का सहयोग किया जाएगा।

जिससे कृषकों को उनके उत्पादन का समुचित मूल्य दिलाने तथा प्रसंस्करणकर्ताओं को गुणवत्तायुक्त कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से कृषकों एवं प्रसंस्करण इकाईयों के मध्य व्यवस्था को प्रोत्साहित करने हेतु क्षमतायुक्त वैकवर्ड लिंकेज प्लांट सुदृढ़ बनाया जा सके। प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये कृषकों, प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों एवं सरकारी संस्थाओं के मध्य आपसी तालमेल को सुदृढ़ किये जाने पर बल दिया जा सके।

यदि देश की कृषि व्यवस्था सुदृढ़, उन्नत व किसानों के लिए लाभकारी बनाना है तब प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण तथा समाज के मध्य पारस्परिक संयोजन को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। ताकि प्रसंस्करण उद्योगों का तीव्र विकास किया जा सके और खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता पर विशेष बल देकर घरेलू और निर्यात मण्डियों हेतु मूल्यवर्धित उत्पादों के लिये एक सतत् आधार बनाया जा सके।

1. जिससे देश में पैदा होने वाले फसलों की सही प्रबन्धन व प्रसंस्करण के अभाव में लाखों टन खराब होता है। अनाज व किसानों के खून पसीने की कमाई खाद्य वस्तुओं को संरक्षण व उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
2. कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन को प्रोत्साहित करते हुए गुणवत्ता के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के निर्माण हेतु सरकार के साथ मिलकर कार्य करना।
3. पूरे देश में स्थानीय स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण लगाने हेतु उत्सुक किसानों एवं उद्यमियों का सहयोग कर मशीनरी व तकनीकी स्तर पर सहयोग देना व उसके उपज व उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में सहयोग करना।
4. विपणन में बिचौलियों के वर्चस्व को कम करते हुये कृषकों, सहकारी समितियों तथा कृषक समूहों के द्वारा प्रसंस्करण बाजार/उत्पादक बाजारों की सुविधा विकसित करना।
5. किसानों को अपने प्रत्येक उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के आधार पर लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने की व्यवस्था करना।



6. खाद्य प्रसंस्करण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु संस्थागत प्रणाली विकसित करते हुये संविदा कृषि एवं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाये, जिससे कृषकों के उत्पादन में वृद्धि एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित कर वांछित लाभ प्राप्त किया जा सके।
7. विपणन मूल्यों में अस्थिरता एवं जोखिम कम करने हेतु भावी बाजारों को प्रोत्साहित किया जाये तथा इसके अन्तर्गत अधिकाधिक कृषि उत्पादों को सम्मिलित किया जा सके।
8. फसलोत्तर प्रबन्धन हेतु कृषकों एवं कर्मचारियों को कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण, श्रेणीकरण, मानकीकरण, भण्डारण एवं परिवहन आदि के लिये प्रशिक्षण तथा कृषि विपणन से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार पर बल दिया जा सके।
9. सम्पूर्ण देश को भौगोलिक, पर्यावरण व मौसम को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र सहकारी समितियों को कृषि विपणन से संबंधित अवस्थापनाओं जैसे सम्पर्क मार्ग, परिवहन, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के भण्डारण हेतु शीतगृह तथा अवशीतन शृंखला (कूल चेन) के निर्माण तथा प्रसंस्करण सुविधा के विकास हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।
10. देश के छोटे-बड़े किसानों को ध्यान में रखकर फसलोत्तर हानि को कम करने तथा कृषि उपज के विपणन में उत्पादकों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित कराने की दृष्टि बड़े पैमाने पर वर्गीकरण एवं उत्पादों की छटाई, सुखाई तथा छटाई की उन्नत व्यवस्थायें गाँव/विकास खण्ड स्तर पर स्थापित करने पर जोर दिया जाये। प्रथम चरण में पतंजलि फूड पार्क द्वारा पांच प्राथमिक प्रोसेसिंग केन्द्र एवं 10 कलेक्शन एवं मोबाइल कलेक्शन सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं।

९. फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन

पतंजलि पार्क के अन्तर्गत एग्री एक्सपो, फूड एक्सपो, फूड एण्ड टेक्नालोजी एक्सपो, विभिन्न मेले, प्रदर्शनियों व खाद्य उत्पादन एवं पैकेजिंग से सम्बन्धित आयोजनों में सहभागिता तथा इन फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी में उत्पादों



को प्रदर्शित करने तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को प्रचारित करने की योजना है इसके लिए पतंजलि फूड पार्क में ट्रेड सेन्टर की स्थापना की जा रही है।

इसके तहत देश सहित सम्पूर्ण विश्व में आयोजित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित आयोजनों में पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क, स्वदेशी खान-पान, उत्कृष्ट व गुणवत्ता युक्त आहार की प्रतिष्ठापना करेगा। लोगों में स्वदेशी एवं सात्विक आहार के प्रति जागरुकता पैदा की जायेगी, जिससे देश में पनपती खान-पान की विदेशी व विकृत संस्कृति को रोका जा सकेगा।

90. कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

देश में आधे से अधिक कृषक महिलायें हैं, कृषि संबंधी लगभग 60-70 प्रतिशत कार्य महिलाओं द्वारा ही किये जाते हैं। प्रगतिशील कृषक के रूप में प्रदेश में अत्यंत कम महिलाओं को मान्यता प्राप्त है। कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण, अनुसंधान, आर्थिक सहायता एवं विपणन में सहयोग दे कर कृषि प्रशिक्षण प्रसार कार्यक्रमों में महिला कृषक की भागीदारी को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करके उनके योगदान को प्रभावी बनाना हमारा लक्ष्य है।

1. कृषि में महिलाओं की व्यापक भूमिका को देखते हुए कृषि तकनीक एवं उपकरणों को उनके अनुकूल विकसित करने के लिये शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहित करके ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों को सहकारी खेती के लिये प्रोत्साहित करके ग्रामीण महिला समूह को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से कृषि तकनीकों, नई विधाओं आदि के विषय में अवगत कराने की कार्य योजना बनायी जायेगी।
2. महिला स्वयं सहायता समूहों को सहकारी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा तथा कृषि एवं संबंधित कार्यों (उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन) से जुड़ी प्रक्रियाओं का महिलाओं के लिये सरलीकरण कर पशु पालन इकाइयों दुग्ध व व्यवसाय, पुष्पोत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण को महिलाओं द्वारा कुटीर उद्योग के रूप में अपनाये जाने व संबंधित क्रियाकलापों के लिये आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिये जाने तथा इनमें महिला स्वयं समूहों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

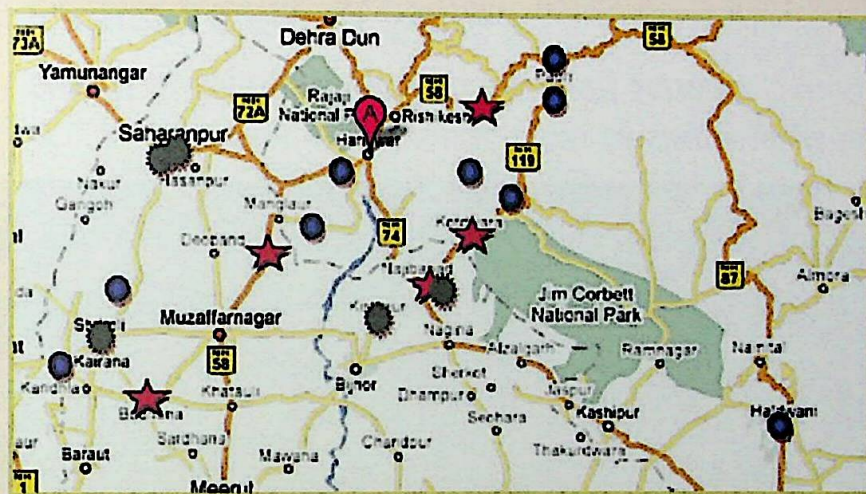
विद्यालय में अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण शिविर



कृषकों के लिए पतंजलि फूड पार्क से सीधे जुड़ने का सुनहरा अवसर

आज अपने खून-पसीने से सींचकर एक किसान उपज पैदा करता है उसका अधिकतम मुनाफा साहूकार, कमीशन एजेंट, उद्योगपति एवं विक्रेता उठाते हैं। खाद्य श्रृंखला की इस परम्परागत व्यवस्था में किसान लगातार मार खाकर गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। किसानों की इस पीड़ा को आत्मसात करके पतंजलि फूड पार्क योजना को कार्यान्वित किया है। आज सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम किसान तक न पहुंचकर कुछ लोगों तक ही समर्पित रह जाता है। इसी पीड़ा को दृष्टिगत रखकर पतंजलि फूड पार्क को कृषक हित में समर्पित

पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लिमिटेड, पदार्था हरिद्वार (फूड पार्क के अवयवों की स्थिति)



केन्द्रीय प्रक्रम केन्द्र, पदार्था



प्रारम्भिक प्रक्रम केन्द्र

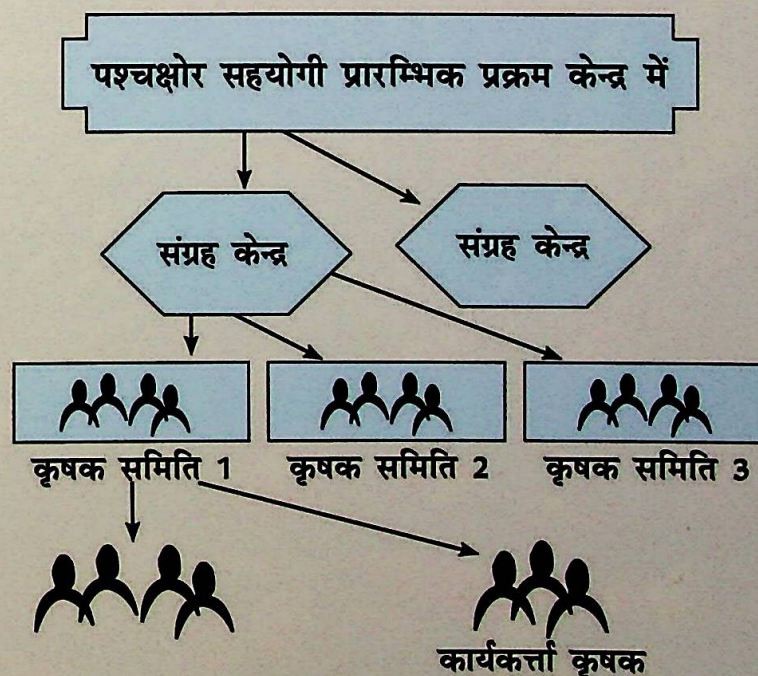


संग्रह केन्द्र



मोबाइल संग्रहण केन्द्र

पश्चगामी संपर्क योजना



किया गया है। जिसके अन्तर्गत किसान भाई फूड पार्क की आवश्यकतानुसार अपनी उपज को सीधे फूड पार्क में ला सकते हैं। उन्हें अपने उपज का पूरा मूल्य प्राप्त हो इसकी व्यवस्था की जायेगी। सहकारी एवं स्वयं सहायता समूह बनाने में सहयोग कर सामूहिक खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा व उसके लिए प्रशिक्षण व्यवस्था की जायेगी।

बैंक व अन्य संसाधनों के द्वारा कम ब्याज पर किसानों को कृषि कार्य हेतु लोन आदि दिलाने में सहयोग व सामूहिक लोन आदि की सहयोग की व्यवस्था की गयी है।

योजना के अंतर्गत किसान अपने उपज को फूड पार्क शृंखला में विभिन्न माध्यमों से देकर अधिकतम लाभ कमा सकते हैं।

मोबाइल संग्रहण केन्द्रों पर : ये केन्द्र ग्रामीण स्तर पर स्थापित किये गये हैं। जहां पर किसानों को अपना उत्पाद खुद पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फूड पार्क के विभिन्न वाहन किसानों की उपज को स्वयं फूड पार्क तक पहुंचाएंगे।

संग्रहण केन्द्रों पर : पाँच से दस मोबाइल संग्रहण केन्द्रों के बीच में एक संग्रहण केन्द्र स्थापित किया गया है।





पतंजलि फूड पार्क में स्थापित विविध कम्पनियाँ व उनके द्वारा स्थापित इकाईयाँ

१. पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड

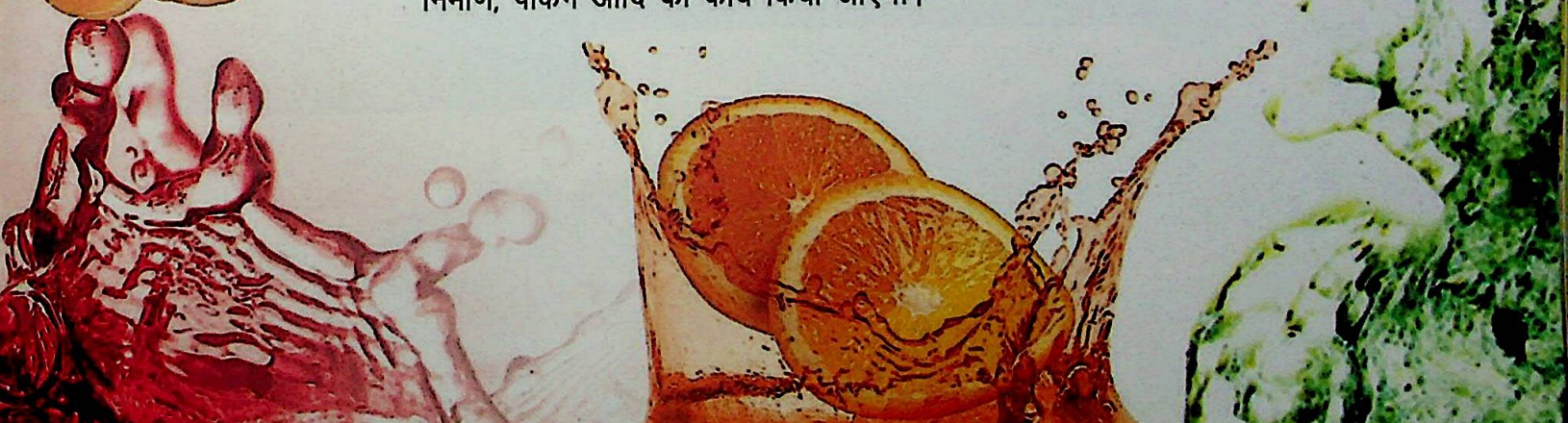
१. खाद्य प्रसंस्करण इकाई

अनाजों के प्रसंस्करण हेतु आटा चक्की की स्थापना

- * इन आटा चक्की में अनेक अनाजों, मसालों एवं दालों से निर्मित आरोग्य आटा, नवरत्न आटा एवं आर्गेनिक आटा का निर्माण किया जाएगा।
- * इन आटा चक्की की विशेषता क्रायोजनिक ग्राइंडिंग है (शीतल प्रक्रिया से पीसना) जिससे अनाज पीसते समय चक्की में ऊष्णता पैदा नहीं होती, ऊष्णता पैदा होने से अनाज में बहुत से पौष्टिक तत्व समाप्त हो जाते हैं जिससे खाद्यान्नों के सूक्ष्म पोषक एवं आवश्यक तत्वों के क्षरण की संभावना न के बराबर होगी साथ ही उष्मा के माध्यम से होने वाली ऊर्जा क्षति को भी रोका जा सकेगा। इसकी क्षमता 100 टन प्रति दिन की होगी।
- * स्वास्थ्यवर्धक दलिया निर्माण इकाई के अंतर्गत, दलिया के निर्माण में प्रयोग होने वाले मोटे अनाजों की खपत में वृद्धि से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा।
- * मोटे अनाजों का उत्पादन ऊसर एवं कम उपजाऊ जमीन पर होने से छोटे किसानों की जोतों में वृद्धि कर उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा।

दाल एवं मसाला प्रसंस्करण संयन्त्र

इन संयन्त्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को संवर्द्धित करना है ताकि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सके, उत्पादन लागत में कमी हो सके, तथा रोजगार उत्पन्न हो सके, इसके अलावा अपव्यय में कमी हो सके, मूल्यवर्द्धन हो सके खाद्य का पुष्टीकरण आदि हो सके।

- * दाल मिलों में मुख्य रूप से उड़द, मूंग, चना, मसूर, अरहर, मटर आदि की सफाई, दाल निर्माण, पैकिंग आदि का कार्य किया जाएगा।
- 

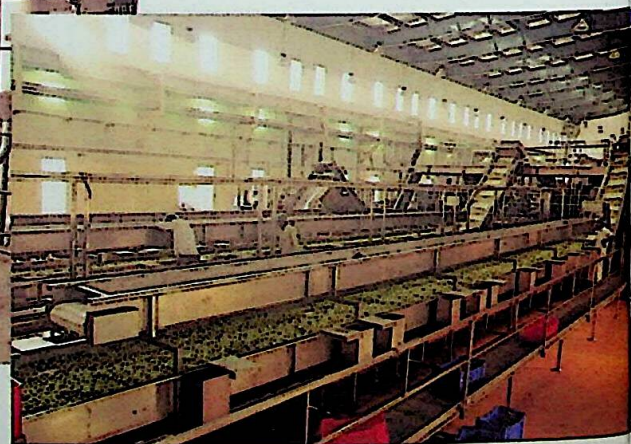
- * प्रारंभिक रूप से दलहन इकाई की क्षमता 24 टन प्रतिदिन रखी गयी है तदुपरान्त बाजार की आवश्यकतानुसार क्षमता और भी बढ़ाई जाएगी।
- * मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, धनिया, कालीमिर्च, जीरा, सोंठ आदि औषधीय महत्व के मसालों का प्रसंस्करण किया जायेगा।

फ्रीज ड्राइंग पाउडर संयन्त्र

आंवला, एलोवेरा आदि दैनिक उपयोग की वस्तुओं को जूस के रूप में तो सम्पूर्ण देश के भाई-बहन सेवन कर रहे हैं, परन्तु यदि मात्रा अधिक हो तब जूस को लेकर चलना काफी कष्टप्रद होता है बहुत लोगों की यह शिकायत भी रहती है कि यात्रा आदि में हमारी उक्त जूसों की निरन्तरता नहीं बन पाती है इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर दुनिया की अत्याधुनिक तकनीक द्वारा उच्च गुण वाले ताजे फलों व सब्जियों को सीधा पाउडर किया जाता है जिसे (फ्रीज ड्राइंग) कहते हैं जिसमें ताजे पदार्थ के औषधीय गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। अपितु शुद्ध पाउडर के रूप में उस पदार्थ को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसके लिए पतंजलि आयुर्वेद ने फ्रीज ड्राइंग को स्थापित किया है।

कैण्डी/मुरब्बा

प्राचीन काल से ही हमारे देश में स्वास्थ्य को स्वाद से भी जोड़ा गया है। स्वास्थ्यकारक पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने की परम्परा का नाम है मुरब्बा/कैण्डी आदि। इसको ध्यान में रखते हुए आंवला, गाजर, बेल, सेब आदि फलों से मुरब्बा आदि बनाने की प्राचीन विधा को गुणवत्ता के साथ आधुनिक मशीनों में बनाने में परम्परा को यहाँ स्थापित किया गया है जिससे देश के लोगों को स्वाद के साथ सेहत भी प्राप्त हो।



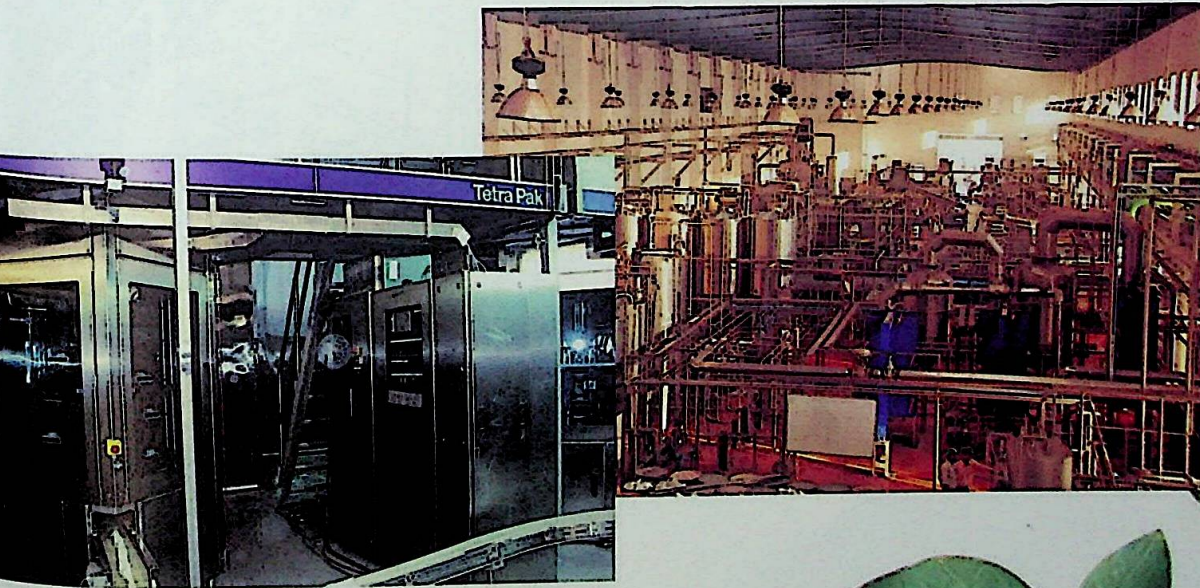
II. पेय (जूस) इकाई

फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण हेतु जूस प्लांट की स्थापना:

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा विश्वस्तरीय अत्याधुनिक तकनीक आधारित जूस (स्वरस) प्लांट स्थापित किया जा रहा है।

- * भारत में यह अत्याधुनिक तकनीक आधारित पहला जूस प्लांट है जिसमें प्रतिदिन 400 टन से अधिक सब्जियों एवं फलों को प्रसंस्कृत किया जा सकेगा।
- * जूस प्लांट के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए यू.एस. एफ.डी.ए. आदि मानकों के क्रम में क्लीन रूम, एच.ए.सी.सी.पी. स्थापित किये जा रहे हैं।
- * बाजार में उपलब्ध जूसों की तुलना में पतंजलि फूड पार्क के उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरें, संरक्षक द्रव्यों रहित हानिकारक रसायनों से मुक्त, औषधीयगुणों युक्त एवं न्यूनतम लागत मूल्य पर आम जनता को उपलब्ध होंगे।
- * जूस प्लांट में निर्मित होने वाले प्राथमिकता के उत्पादों में प्रयुक्त सब्जियों एवं फलों सहित अन्य फसलों का उत्पाद सीधे फूड पार्क के विभिन्न माध्यमों से जुड़कर कृषक अपने उत्पादन का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

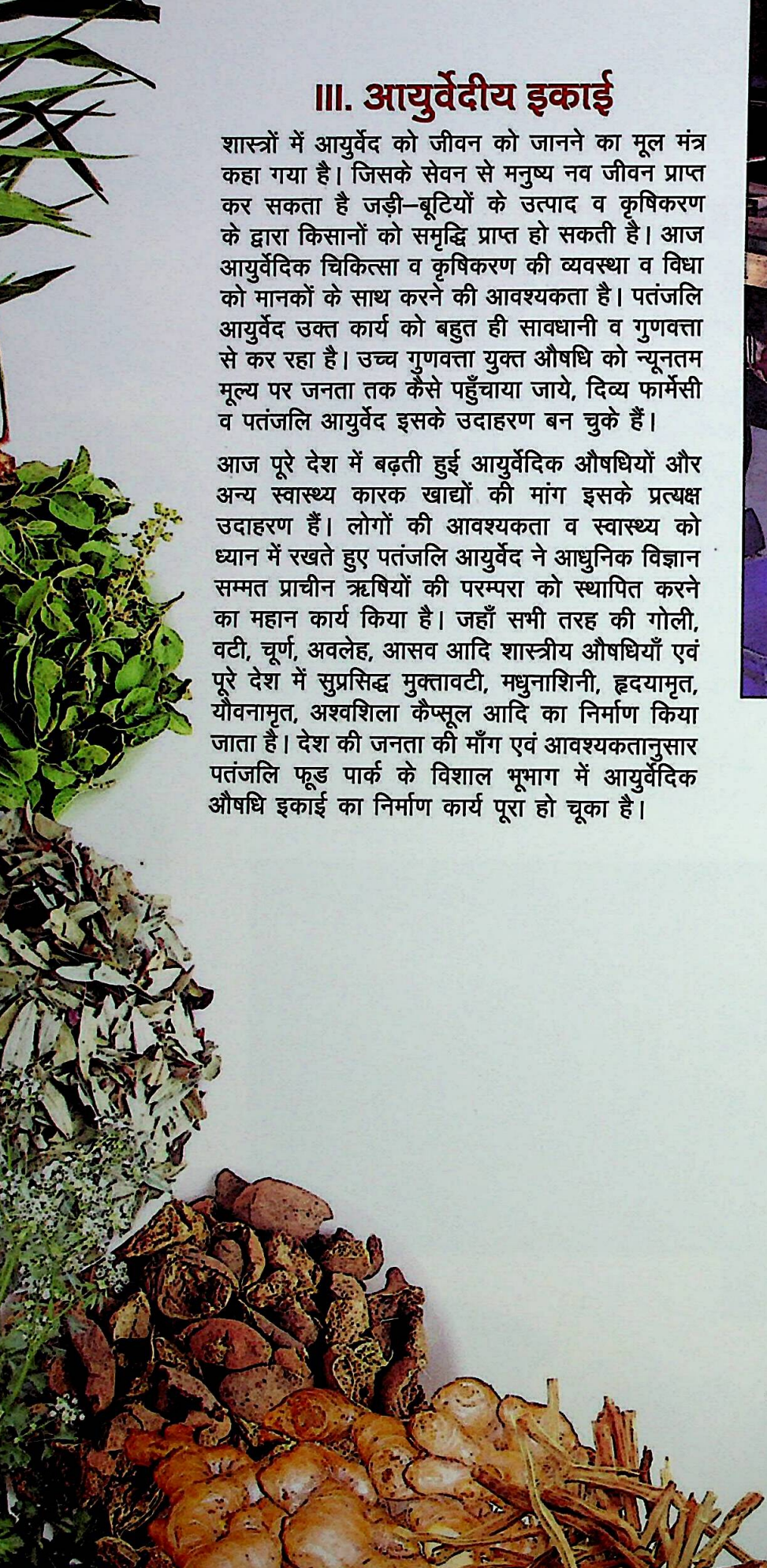
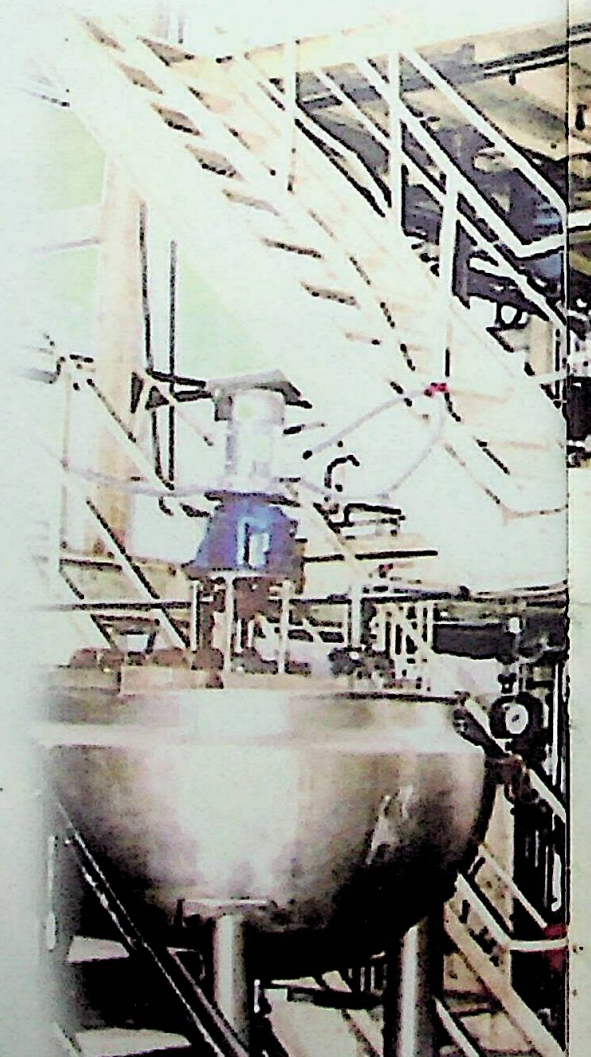
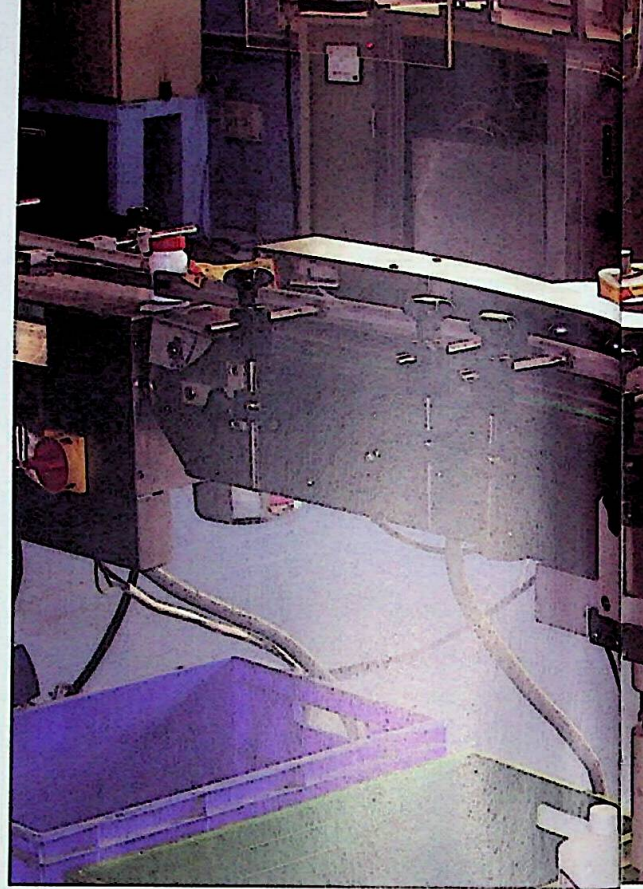
प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ में आंवला, एलोवेरा (घृतकुमारी), लौकी, गाजर, करेला, टमाटर, गेहूँ का ज्वारा, तुलसी, पुदीना आदि फसलों का रस निकालकर लोगों के स्वास्थ्य अभिवृद्धि विपणन के लिए चुनी गयी है।



III. आयुर्वेदीय इकाई

शास्त्रों में आयुर्वेद को जीवन को जानने का मूल मंत्र कहा गया है। जिसके सेवन से मनुष्य नव जीवन प्राप्त कर सकता है जड़ी-बूटियों के उत्पाद व कृषिकरण के द्वारा किसानों को समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आज आयुर्वेदिक चिकित्सा व कृषिकरण की व्यवस्था व विधा को मानकों के साथ करने की आवश्यकता है। पतंजलि आयुर्वेद उक्त कार्य को बहुत ही सावधानी व गुणवत्ता से कर रहा है। उच्च गुणवत्ता युक्त औषधि को न्यूनतम मूल्य पर जनता तक कैसे पहुँचाया जाये, दिव्य फार्मसी व पतंजलि आयुर्वेद इसके उदाहरण बन चुके हैं।

आज पूरे देश में बढ़ती हुई आयुर्वेदिक औषधियों और अन्य स्वास्थ्य कारक खाद्यों की माँग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। लोगों की आवश्यकता व स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पतंजलि आयुर्वेद ने आधुनिक विज्ञान सम्मत प्राचीन ऋषियों की परम्परा को स्थापित करने का महान कार्य किया है। जहाँ सभी तरह की गोली, वटी, चूर्ण, अवलेह, आसव आदि शास्त्रीय औषधियाँ एवं पूरे देश में सुप्रसिद्ध मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हृदयामृत, यौवनामृत, अश्वशिला कैप्सूल आदि का निर्माण किया जाता है। देश की जनता की माँग एवं आवश्यकतानुसार पतंजलि फूड पार्क के विशाल भूभाग में आयुर्वेदिक औषधि इकाई का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

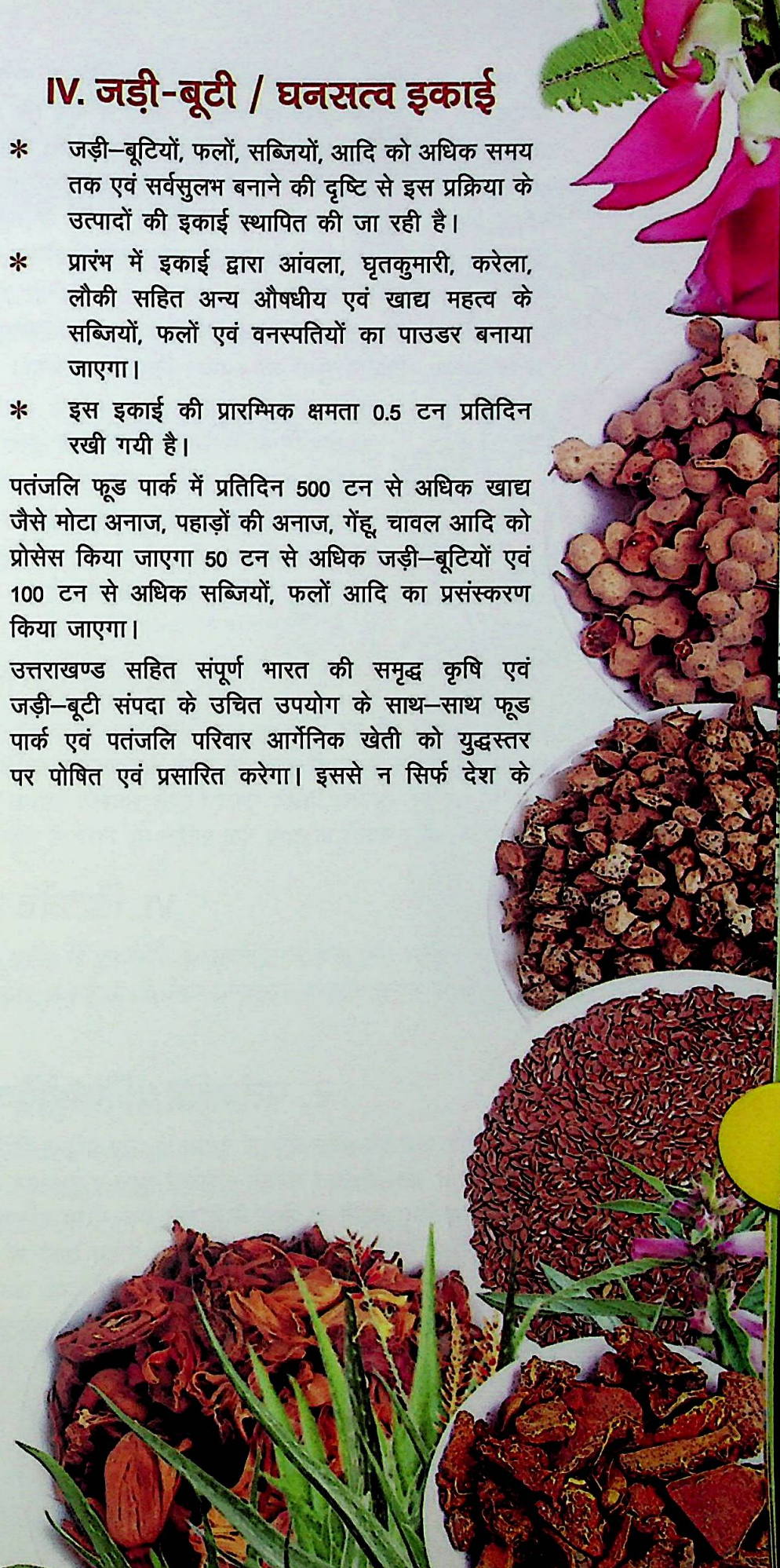
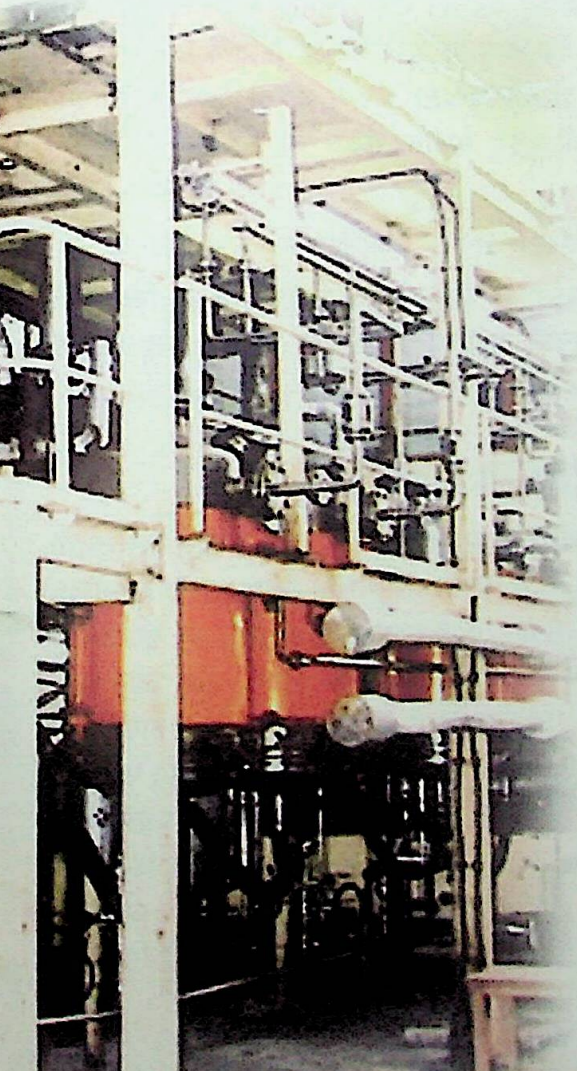
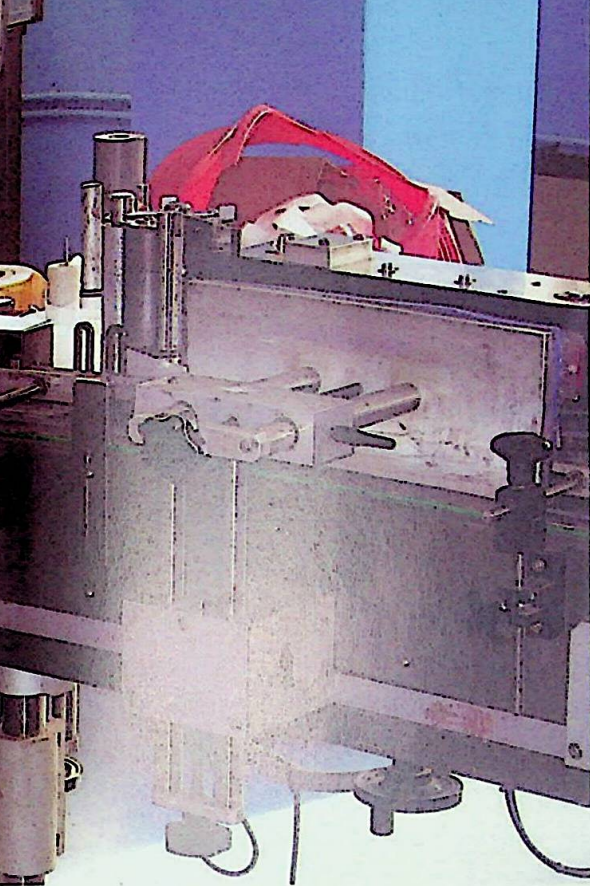


IV. जड़ी-बूटी / घनसत्व इकाई

- * जड़ी-बूटियों, फलों, सब्जियों, आदि को अधिक समय तक एवं सर्वसुलभ बनाने की दृष्टि से इस प्रक्रिया के उत्पादों की इकाई स्थापित की जा रही है।
- * प्रारंभ में इकाई द्वारा आंवला, घृतकुमारी, करेला, लौकी सहित अन्य औषधीय एवं खाद्य महत्व के सब्जियों, फलों एवं वनस्पतियों का पाउडर बनाया जाएगा।
- * इस इकाई की प्रारम्भिक क्षमता 0.5 टन प्रतिदिन रखी गयी है।

पतंजलि फूड पार्क में प्रतिदिन 500 टन से अधिक खाद्य जैसे मोटा अनाज, पहाड़ों की अनाज, गेहूँ, चावल आदि को प्रोसेस किया जाएगा 50 टन से अधिक जड़ी-बूटियों एवं 100 टन से अधिक सब्जियों, फलों आदि का प्रसंस्करण किया जाएगा।

उत्तराखण्ड सहित संपूर्ण भारत की समृद्ध कृषि एवं जड़ी-बूटी संपदा के उचित उपयोग के साथ-साथ फूड पार्क एवं पतंजलि परिवार आर्गेनिक खेती को युद्धस्तर पर पोषित एवं प्रसारित करेगा। इससे न सिर्फ देश के



30 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा वरन् कृषि, मजदूरी, विपणन आदि से जुड़े लोगों को स्वरोजगार का अवसर प्राप्त हो सकेगा। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के माध्यम से खाद्य पदार्थों को उचित प्रकार से प्रसंस्कृत कर स्वास्थ्यप्रद बनाने के साथ-साथ उत्तराखण्ड सहित भारत के अन्य हिस्सों में कृषिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे अवैध रूप से दोहन किये जा रहे जड़ी-बूटी संपदा का संरक्षण किया जाएगा। औषधि निर्माण हेतु विशेष संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस प्रकार पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क एक मॉडल फूड पार्क के रूप में स्थापित हो रहा है। इस प्रकार अपशिष्ट से बने खाद आदि का उपयोग किसानों द्वारा जैविक खाद के रूप में किया जाएगा।

फूड पार्क में जड़ी-बूटियों का अर्क निकालने के लिए अत्याधुनिक यूनिट लगायी जा रही हैं जिसे जड़ी-बूटियों के अधिकतम औषधीय गुणों का उपयोग किया जा सकेगा।



फूड पार्क में विशालतम कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जा रहे हैं जिससे प्रोसेसिंग यूनिटों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली कच्ची सामग्रियों एवं निर्मित उत्पादों को अधिकतम समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा साथ ही फूड पार्क में वृहत् क्लीनरूम भी स्थापित किये जा रहे हैं।

पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क लिमिटेड का उद्देश्य है कि फूड पार्क में FDA approved unit की स्थापना की जाए। इस हेतु फूड पार्क की यूनिट पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पहले से ही कार्यरत है।

V. सौन्दर्य प्रसाधन इकाई

सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएँ केवल मात्र विलासिता की वस्तुएँ नहीं अपितु देह को शुद्ध, निर्मल व स्वच्छ करने का भी सशक्त साधन है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पतंजलि आयुर्वेद ने वृहद स्तर पर आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट आदि गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य कारक उत्पादों की शृंखला प्रारम्भ की है। इन आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक को गुणवत्ता के साथ देश सहित पूरे विश्व में पहुँचाने की वृहद् योजना तैयार की गई है।

VI. डिटर्जेंट इकाई

डिटर्जेंट पाउडर व केक में हानिकारक केमिकल से रहित गुणवत्तायुक्त केमिकल व जड़ी-बूटी के मिश्रण से तैयार करके न्यूनतम मूल्य पर कपड़े धोने का साबुन व पाउडर बनाने के लिए इस इकाई की स्थापना की गई है।

2. पतंजलि फ्लैक्सीपैक प्राइवेट लिमिटेड

पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क में प्रयोग के लिए पैकिंग, प्रिंटिंग (कोरोगेटेड बक्से) गत्ते के डिब्बे व सभी तरह के लेबल व अन्य संबंधित सामान, गुणवत्ता युक्त व नुकसान देह मुक्त केमिकल से निर्माण किया जायेगा। भोजन को संरक्षित करने के लिए डिब्बाबंदी एक उत्तम प्रक्रिया है। इससे न केवल भोज्य पदार्थ की पौष्टिकता सुरक्षित रहती है बल्कि वातावरण की बाह्य तत्वों से भोजन को खराब होने, नष्ट होने, तथा जीवाणुओं एवं विषाणुओं से प्रदूषित होने से बचाता है। यह उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच पारस्परिक संबंधों को प्रभावी करने के साथ-साथ भोज्य पदार्थ के उच्च गुणवत्तायुक्त होने का आश्वासन भी देता है। पतंजलि फ्लैक्सीपैक में हम डिब्बाबंदी और दूसरे अन्य उत्पाद को उनके मूल स्रोतों से अच्छे एवं प्रभावशाली तरीके से विकसित करने का प्रयत्न करेंगे। हमारा अथक प्रयास होगा कि हम लचीले डिब्बाबंदी भोज्य प्रक्रिया के लिए उत्तम तकनीक का प्रयोग कर, श्रेष्ठ, उत्तम गुणवत्तायुक्त, आकर्षक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे। हम ऐसे प्रतिष्ठान को विकसित

करने में अनुसंधानरत हैं जो न केवल उत्तम उत्पाद दे, बल्कि हमारे उत्पाद पर्यावरण के उपयुक्त भी हो। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क में हम विश्व के उच्च श्रेणी के लचीले डिब्बाबंदी भोज्य पदार्थ उत्पन्न करने वाले इकाई की स्थापना करेंगे।

३. दिव्य पैकमेफ प्राइवेट लिमिटेड

फूड पार्क में प्रतिदिन निर्मित होने वाले हजारों टन मैटेरियल (सामान) में ज्यादातर सामान को डिब्बों में पैक किया जायेगा, उसके लिए डिब्बे व अन्य पैकिंग के सामान को उचित मूल्य व सही समय पर उपलब्ध कराने की भावना से उक्त कम्पनी डिब्बे आदि पैकिंग के सामान का निर्माण करेगी।



४. पतंजलि नेचुरल कलरोमा प्राइवेट लिमिटेड

आजकल बाजार में बहुतायत में उपलब्ध रासायनिक एवं हानिकारक रंगों, रंजको, पेन्ट आदि से स्वास्थ्य की हानि के साथ-साथ लोगों में गम्भीर बीमारियों भी जन्म ले रही हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए पतंजलि फूड पार्क में जड़ी-बूटियों एवं पेड़-पौधों से निर्मित प्राकृतिक रंग, डाई, पेन्ट आदि के निर्माण के लिए पतंजलि नेचुरल कलरोमा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से निर्माण इकाई प्रारम्भ हो रही है। इस कंपनी द्वारा खाद्य एवं सौन्दर्य प्रसाधन ग्रेड के रंग, रंजक, पेंट आदि के साथ-साथ सुगन्धित द्रव्यों का भी उत्पादन किया जाएगा।

साथ में उक्त कम्पनी द्वारा सूती व शतप्रतिशत प्राकृतिक रंग में रंगे हुए :

1. कुर्ता-पायजामा व सलवार-सूट
2. छोटे-बड़े तौलिए
3. योग आदि के ट्रैक सूट
4. बिछाने के वस्त्र
5. टी-शर्ट आदि भी उपलब्ध कराया जायेगा

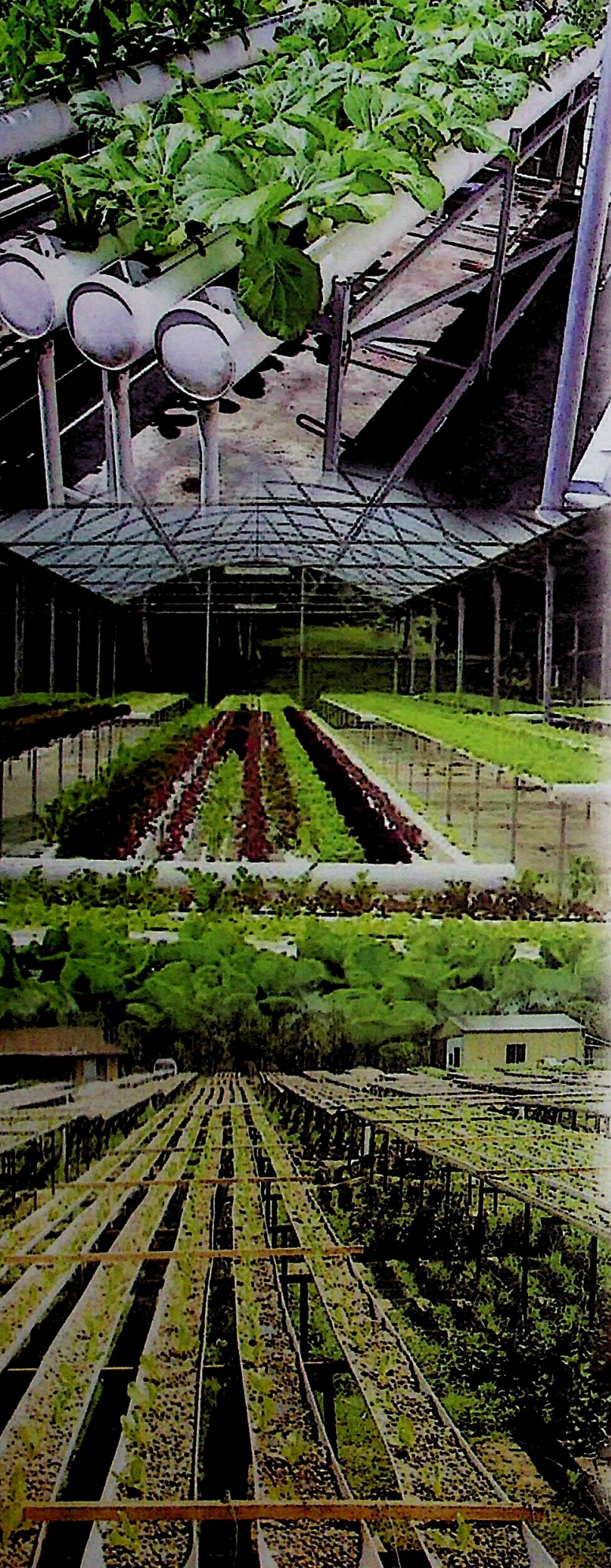
जिससे कपास उगाने वाले किसानों को भरपूर मूल्य प्राप्त हो तथा देश के लोगों को विविध तरह के सिन्थेटिक वस्त्रों व कैमिकल युक्त रंगों से मुक्ति मिले। वस्त्रों को बैक्टिरिया-फ्री व आर्गेनिक काटन के द्वारा निर्मित किया जायेगा।



५. पतंजलि परिवहन प्राइवेट लिमिटेड

पतंजलि फूड पार्क में स्थित सभी उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे सामान को पहुँचाने व तैयार होने के बाद सामान को बाहर ले जाने के कार्य हेतु परिवहन कम्पनी कार्य करेगी। जिससे किसानों की उपज को सुरक्षित ढंग से प्रोसेसिंग स्थल तक समय की बचत व मूल्य में न्यूनता के साथ पहुँचाया जा सके।





६. पतंजलि हाइड्रोपोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड:

मिट्टी के बिना (कृषि भूमि के) खनिज पोषक तत्व एवं पानी के द्वारा खेती को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पतंजलि फूड पार्क में इस अत्याधुनिक कृषि पद्धति का उपयोग एक मॉडल के रूप में किया जाएगा। इस पद्धति के अधिकाधिक उपयोग से कृषि एवं उत्पाद सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकेगा।

- * मिट्टी पर निर्भरता को कम किया जा सकेगा।
- * पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा, इस पद्धति में पानी को रीसाईकिल करके पुनः प्रयोग किया जाता है।
- * फसल की पोषकता के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी।
- * मिट्टी के द्वारा फसलों में आने वाले हानिकारक रसायनों पेस्टीसाइड्स, हैवी मेटल्स आदि का निराकरण होगा।
- * छोटी हाइड्रोपोनिक इकाइयों की स्थापना व उन पर अनुसंधान करके घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।
- * इस प्रक्रिया से प्राथमिक से प्राथमिक उत्पादन कर्ता एवं उपभोक्ता समान रूप से लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- * इसे विशेषकर पशुओं के लिए हरा चारा व पतंजलि आयुर्वेद के लिए गेहूँ के ज्वारे की पूर्ति हेतु विकसित किया जायेगा।

इसके साथ ही इस कम्पनी के द्वारा उन्नत व गुणवत्ता युक्त कृषि कार्य के लिए विविध तरह के ग्रीन हाउस, पॉलीहाउस नर्सरी व अन्य कृषिकरण के नये व वैज्ञानिक उपायों पर कार्य किया जायेगा। जिससे कम लागत पर कृषक अपनी उपज को कैसे बढ़ा पायेंगे इस पर अनुसंधान किया जायेगा।





मेगा फूड पार्क योजना

मेगा फूड पार्क योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की ग्यारहवीं योजना का प्रमुख कार्यक्रम है।

मेगा फूड पार्क योजना कृषि आसन्न सुविधाओं प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और संग्रह केंद्र सहित प्रस्तावित मेगा फूड पार्क के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की परिकल्पना है।

क्लस्टर, सिंचित क्षेत्रों में उपलब्ध कृषि और बागवानी अधिशेष को रसद और प्रसंस्करण हेतु बुनियादी ढांचे के आधार पर बहुत ध्यान से चयनित किया जायेगा। विभिन्न बुनियादी ढांचों का स्थान कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा, जिनका प्रयोजन अंत उपयोग एवं ढांचा उपलब्ध करना है। गुच्छ की भौगोलिक सीमा उत्पादों और कच्चे माल की मात्रा के आधार पर चित्रित किया जाएगा।

उत्पाद मिश्रण कार्य दिवसों के अधिकतम संख्या के साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य संचालन के लिए अहम जरूरतों के अलावा आम सुविधा के उपयोग की दृष्टि से अनुकूल होना चाहिए।

प्रसंस्करण इकाइयों जिनको मेगा फूड पार्कों में स्थापित किया जाना है, को स्थान विशेष एवं कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर होना चाहिए। पार्क के अन्दर संभावित प्रसंस्करण इकाइयाँ IQF फ्रोजन फूड्स, फल और सब्जी प्रसंस्करण, आम/टमाटर/केले/अनानस/अमरूद प्रसंस्करण, पल्प/प्यूरी, एसेप्टिक रस, सुधा, पेय, टेट्रापैक एसेप्टिक पैकेजिंग प्लांट, वैक्यूम ड्रियिंग, कैंडीज, पपेन निकालना, एंजाइम और ओलिवरेसिन आसवन, तुरंत खाने हेतु तैयार खाद्य, तुरंत पकाने हेतु वडा, डोसा आदि, विशेष फूड्स ऊर्जा पेय मिश्रण, स्वस्थ खाद्य पदार्थ, तैयार भोजन निष्फल फल, सब्जियां, अनाज, कॉन्फैक्शनरी संयंत्र चॉकोलेट कोको-प्रसंस्करण मसाला कटलेट/टेस्टमेकर्स इकाई, प्राकृतिक रंग अर्क आदि होंगी।

कॉन्फैक्शनरी संयंत्र-चॉकोलेट-कोको प्रसंस्करण, मसाले/टेस्ट मेकर विकास इकाई-सीजनिंग प्राकृतिक रंग सत्व इत्यादि।

इस योजना के अंतर्गत परियोजना की कीमत का 50% पूंजी अनुदान के रूप में (50 करोड़ की अधिकतम सीमा तक) सामान्य क्षेत्रों में और परियोजना की कीमत का 75% तक पूंजी अनुदान पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्रों में (उत्तरपूर्वी राज्यों/क्षेत्रों जिसमें सिकिक्म, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं आई.टी.डी.पी अधिसूचित क्षेत्रों) परिकल्पित किया गया है।

योजना की पृष्ठभूमि एवं लक्ष्य

- 1) विभिन्न हित धारकों से हुई चर्चाओं और उनके सुझावों के आधार पर दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई पिछली फूड पार्क स्कीम में अनेक संशोधन किये गये हैं।
- 2) मेगा फूड पार्क स्कीम खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के विज़न 2015 को अधिक सुगम बनाएगी। इसके अंतर्गत नष्ट हो सकने वाले माल का प्रसंस्करण 6% से बढ़ाकर 20% तक करने, 20% से 35% तक मूल्य वर्धन करने और वैश्विक खाद्य व्यापार में अपना योगदान वर्ष 2015 तक 1.5% से 3% तक करने का लक्ष्य है।
- 3) मेगा फूड पार्क स्कीम का प्राथमिक लक्ष्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में खेत से बाजार तक की मूल्य श्रृंखला के लिये अच्छी एवं पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं को जुटाना है। इसके अंतर्गत खेतों के निकट बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, ट्रॉसपोर्ट की व्यवस्था, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों का निर्माण भी है। समूहबद्धता (Cluster based approach) इस योजना का एक प्रमुख अंग है। यह स्कीम मांग एवं विपणन पर आधारित होगी और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को पर्यावरण सुरक्षा एवं सामाजिक मानकों पर तैयार होने का मौका देगी।
- 4) इस स्कीम से निम्नलिखित परिणामों की अपेक्षा है-कृषकों के लिये अधिक आय, अच्छी स्तर की ग्राम्य प्रसंस्करण व्यवस्थाओं का निर्माण, नुकसान में कमी, उत्पादकों एवं प्रसंस्करण करने वालों की क्षमता को बढ़ाने, एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को बनाने और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों को बढ़ाना।

स्कीम का वैशिष्ट्य

1. स्कीम का उद्देश्य है - एक सुदृढ़ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना जिसकी नींव सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला पर टिकी है। इसके अंतर्गत संग्रह केंद्र प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और शीत श्रृंखला भी होगी। इस स्कीम के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ मुख्य प्रसंस्करण केंद्र में होगी। जहाँ जरूरत के अनुरूप प्रसंस्करण, पैकेजिंग पर्यावरण सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालायें व्यापार इत्यादि होंगे।
2. मुख्य प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिये लगभग 50-100 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, हालाँकि क्षेत्रवार यह जरूरत बदल भी सकती है। मुख्य प्रसंस्करण केंद्र को अधिकतम सहयोग नजदीक में स्थापित प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों और संग्रह केंद्रों से मिलेगा, जो प्रसंस्करण केंद्रों के तकनीक संगत अध्ययन के बाद ही स्थापित किए जायेंगे।

प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और संग्रह केंद्रों के लिये आवश्यक भूमि मुख्य प्रसंस्करण केंद्र की भूमि के अतिरिक्त होगी।

यह अपेक्षा है कि प्रत्येक परियोजना में लगभग खाद्य 30-35 इकाइयाँ 250 करोड़ रूपयों के सामूहिक निवेश से करीब 450-500 करोड़ रूपये का कारोबार करेगी और लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगी। प्रत्येक फूड पार्क का वास्तविक विन्यास फूड-पार्क में होने वाले व्यापार पर निर्भर करेगा।

मुख्य प्रसंस्करण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और संग्रह केंद्र में कुल निवेश पूरी परियोजना के विस्तार पैमाने के अनुपात पर निर्भर करेगा।

पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क स्थापना के इस महा अभियान को समझने के लिए संस्थागत किये जा रहे जन व राष्ट्र सेवा के कार्यों का अवलोकन

समाज व राष्ट्र की सेवा में संस्था के गौरवशाली 15 वर्ष



कृपालु बाग आश्रम, कनखल

सम्पूर्ण गतिविधियों व विविध प्रकल्पों को अनुशासित रूप से संचालित करने हेतु 4 फरवरी 2005 को पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) की स्थापना।

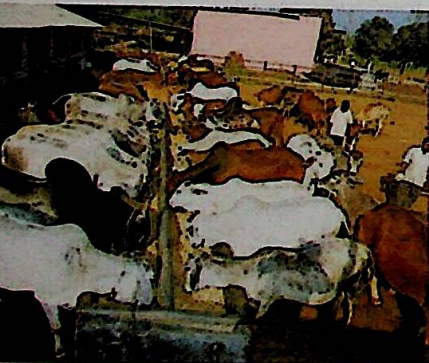
- * भारत स्वाभिमान (ट्रस्ट) : स्वस्थ, समर्थ व संस्कारवान् भारत बनाने के लिए 15 संगठनों के साथ कार्यरत एक सामाजिक व आध्यात्मिक आंदोलन।
- * आत्मपरिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन अभियान द्वारा राष्ट्र का नैतिक व चारित्रिक उत्थान कर वैभवशाली भारत के लिए समर्पित आंदोलन।
- * देश के लगभग 600 जिलों में ढाई लाख से अधिक प्रशिक्षित योग शिक्षक एवं कार्यकर्ता सदस्य कार्यरत हैं। 60 हजार से अधिक नियमित योग कक्षाएं चल रही हैं। साथ ही वर्ष 2010-2011 में प्रत्येक गांव, कॉलोनी, तहसील, कस्बा, नगर व जिला आदि में योग के स्थायी केन्द्र संचालित करने हेतु 11 लाख योग शिक्षक तैयार करने की कार्य योजना पर दृढ़ता व तीव्रता से अमल हो रहा है।

योग व आयुर्वेद को जन-जन तक लोकप्रिय बनाकर योग से विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों, संस्कृतियों को जोड़कर स्वस्थ, समर्थ, संस्कारवान् व शक्तिशाली भारत एवं नीरोगी विश्व निर्माण की यात्रा

भारत में हमारे ट्रस्ट :

* दिव्य योग मंदिर (ट्रस्ट) : अत्यन्त अल्प संसाधनों के साथ 5 जनवरी 1995 को दिव्य योग मन्दिर (ट्रस्ट) की स्थापना तथा योग एवं आयुर्वेद द्वारा जन सेवा का आरम्भ कृपालु बाग आश्रम, कनखल से किया गया।

* पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) : योग को विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करने, योग की वैदिक परम्परा के अध्ययन व उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने तथा साथ ही योग की



पतंजलि योगपीठ गौशाला



पतंजलि हर्बल पार्क



लिटिल कैम्ब्रिज

हमारे अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट :

भारतीय संस्कृति के उदात्त पक्षों योग व आयुर्वेद सहित वेद, उपनिषद्, दर्शन इत्यादि के शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन के लिए पतंजलि योगपीठ (यू.के.) ट्रस्ट, पतंजलि योग फाउन्डेशन (ट्रस्ट), (यू.एस.ए.), पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट), कनाडा तथा पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट), काठमाण्डू, नेपाल में स्थापित।

हमारी संस्थाएं

पतंजलि विश्वविद्यालय, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, योगग्राम, दिव्य फार्मसी, पतंजलि आयुर्वेद लि., गुरुकुल, पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र, गंगोत्री साधना केंद्र, कृपालु बाग आश्रम, दिव्य नर्सरी, पतंजलि औषधीय उद्यान व कृषि विकास।

पतंजलि योगपीठ प्रथम चरण व अनुसंधान विभाग

- * 6 अप्रैल 2006 को भारत के उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत व देश के अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों व राज्यपाल आदि अतिविशिष्ट महानुभावों की उपस्थिति में पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन।
- * योगपीठ के योग एवं आयुर्वेद ओ.पी.डी. में प्रतिदिन छः हजार से दस हजार रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श की सुविधा उपलब्ध।
- * पंचकर्म व षट्कर्म सहित अत्याधुनिक मशीनों से पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी आदि परीक्षणों की सुविधा उपलब्ध।
- * योग को आधुनिक चिकित्सा के मापदण्डों के अनुरूप स्थापित करने के लिए योग अनुसंधान विभागकार्यरत है। आज तक देश एवं विदेश के अनेक प्रामाणिक मेडिकल जरनल्स में हमारे शोधपत्र प्रकाशित हो चुके हैं।

पतंजलि योगपीठ द्वितीय चरण

- * 2 लाख वर्ग फुट का बृहत् ऑडिटोरियम व 60 हजार वर्ग फुट का वृहत् वातानुकूलित ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है।
- * यहाँ प्रतिदिन लगभग 1000 व्यक्तियों की पंचकर्म व षट्कर्म की व्यवस्था है।
- * लगभग 5 से 6 हजार व्यक्तियों की वातानुकूलित व गैर वातानुकूलित आवास व्यवस्था है।
- * 1000 लोगों की आवास व्यवस्था वाली निःशुल्क धर्मशाला। लगभग 2000 आगन्तुकों के निःशुल्क भोजन-प्रसाद की व्यवस्था।



पतंजलि योगपीठ-फेस I



पतंजलि योगपीठ-फेस II



योगग्राम

- * योगग्राम (योग-प्राकृतिक-पंचकर्म चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र) : 100 बीघा भूमि में राजाजी नेशनल पार्क के निकट प्रकृति की सुरम्य गोद में विश्व के विशालतम योग-प्राकृतिक-पंचकर्म चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना जहां 115 प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है।
- * पतंजलि विश्वविद्यालय : पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम-2006 (उत्तराखण्ड सं. 04 वर्ष 2006) प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं वैदिक विज्ञान पर आधारित योग, आयुर्वेद एवं अन्य कृषि जड़ी-बूटीकरण के क्षेत्र में गहन शिक्षण-प्रशिक्षण एवं शोधकार्य आदि

की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा प्रायोजित पतंजलि विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उसे निगमित करने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 बनाया गया है। वर्तमान में विश्वविद्यालय "पंचकर्म" व "योग स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक पर्यटन" में दो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स चला रहा है। वर्ष 2010 से स्नातकोत्तर शिक्षा का भी प्रारम्भ करने जा रहे हैं।

- * पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज : पतंजलि योगपीठ के निकट आयुर्वेद शिक्षा को नया आयाम देने के लिए पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज की स्थापना की गयी है।
- * पतंजलि चिकित्सालय : देश भर में सभी प्रान्तों के लगभग सभी जिलों में हमारे लगभग एक हजार चिकित्सालय चल रहे हैं, जहां हमारे लगभग 800 बी.एम.एस., एम.डी. आयुर्वेद आचार्य, कुशल वैद्य प्रतिदिन लगभग 40 से 50 हजार रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराते हैं। इन सभी आरोग्य केन्द्रों में आश्रम के सभी उत्पाद उपलब्ध कराये जाते हैं।

योग विज्ञान शिविरों के माध्यम से योग की शिक्षा :

- * योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सान्निध्य में 2009 तक 400 से अधिक योग विज्ञान शिविरों का सम्पूर्ण देश व दुनिया में आयोजन।
- * एक-एक शिविर में लाखों लोगों की सहभागिता।
- * अब तक लगभग तीन करोड़ से भी अधिक लोगों को शिविरों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक लाभ तथा आस्था, जी-टी.वी. के विभिन्न नेटवर्क, सहारा, इंडिया टी.वी., टी.वी-9, डी.डी.-1 व अन्य चैनलों के माध्यम से देश व दुनिया के 100 करोड़ से अधिक लोगों तक योग की शिक्षा व स्वास्थ्य का संदेश पहुंचा।
- * शिविरों में रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वदेशी, स्वच्छता एवं राष्ट्रप्रेम को जीवन का अंग बनाने पर विशेष जोर।
- * योग को सेना, अर्द्धसैन्य बलों सहित शासन, प्रशासन, स्कूल, कॉलेज, कारपोरेट जगत् में लोकप्रिय बनाने हेतु योग शिविरों का आयोजन।
- * राष्ट्रपति भवन से लेकर देश के गांव-गांव तक योग विज्ञान शिविरों का आयोजन।
- * पतंजलि योग समिति : भारत में केन्द्र, राज्य, मण्डल, जिला एवं तहसील स्तरों पर पतंजलि योग समिति के लगभग ढाई लाख से अधिक योग शिक्षक सार्वजनिक स्थानों जैसे-पार्क, धर्मशाला, मन्दिर, मस्जिद, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कारागार, कारपोरेट जगत् में योग प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं।
- * विदेशों (यू.एस.ए., यू.के., कनाडा, अफ्रीकन देश, मिडिल-ईस्ट) में पतंजलि योग समिति के पाँच हजार से अधिक योग शिक्षक योग प्रशिक्षण के कार्य में अहर्निश संलग्न हैं। नेपाल में 10 हजार योग शिक्षक कार्यरत

हैं। भारत में योग शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन 60 हजार से अधिक नियमित निःशुल्क योग कक्षाओं का संचालन।

* टी.वी. के माध्यम से योग शिक्षा : विभिन्न टी.वी. चैनलों तथा ऑडियो-वीडियो के माध्यम से विश्व के सौ करोड़ से अधिक लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वामीजी की योग विद्या का लाभ उठाया है तथा करोड़ों लोग प्रतिदिन सीधे प्रसारण से लाभान्वित हैं।

* योग को विज्ञान की कसौटी पर कसने के लिए चुनौतीपूर्ण योग विज्ञान शिविरों में क्लीनिकल कंट्रोल ट्रायल के उपरान्त विभिन्न रोगों की चिकित्सा में योग/प्राणायाम के चमत्कारिक परिणाम सामने आये।

* 2006 में प्रथम बार भारत से बाहर यू.के. की धरती पर योग विज्ञान शिविरों का सफल आयोजन तथा विदेशों में योग की व्यापक स्वीकृति प्रारंभ हुई।

* **गुरुकुल का संचालन** : किशनगढ़ घासेड़ा, रेवाड़ी, हरियाणा में आधुनिक एवं प्राच्य विषय की शिक्षा के साथ विशाल गुरुकुल का संचालन, जहाँ देश-विदेश के छात्रों का गुरुकुलीय वातावरण में सर्वांगीण विकास हो रहा है।

* **सुनामी आपदा पीड़ितों को बढ़-चढ़ कर सहयोग** : दिसम्बर 2004 में सुनामी के समय बड़े पैमाने पर आपदा पीड़ितों को सहायता प्रदान की।

* **शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ त्रासदी** : बिहार में शताब्दी की सबसे बड़ी बाढ़ त्रासदी के कारण पीड़ित लोगों की सहायतार्थ, पतंजलि योगपीठ विश्व के सबसे बड़े एन.जी.ओ. के रूप में सामने आया। बाढ़ पीड़ित जिलों में 50 से भी अधिक स्थानों पर बाढ़ सहायता राहत कार्यों का निष्पादन, जहाँ प्रतिदिन लगभग एक लाख अभावग्रस्त लोगों को निःशुल्क भोजन एवं शुद्ध जल की व्यवस्था की गयी तथा औषधि व वस्त्रादि का वितरण किया गया।

सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर सहभागिता :

- * अनाथ एवं कुष्ठ रोगियों को भोजन, वस्त्रादि की व्यवस्था।
- * अनाथ एवं निर्धन कन्याओं के विवाह में सहयोग।
- * मेधावी छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति।
- * प्राकृतिक आपदा के समय अभावग्रस्त व्यक्तियों की सहायता।

स्वामी जी महाराज के कार्यों की व्यापक स्वीकारोक्ति / सम्मान :

- * देश-विदेश के अनेकों विश्वविद्यालयों द्वारा स्वामीजी महाराज को विभिन्न विषयों में डॉक्ट्रेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। स्वामीजी द्वारा यू.एन.ओ. के स्टैण्ड-अप कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। ब्रिटेन के 'हाउस ऑफ कॉमन्स', न्यूयार्क की नासू काउण्टी व न्यू जर्सी की सीनेट व जनरल असेम्बली तथा कनाडा की सीनेट द्वारा स्वामीजी को सम्मानित किया गया है।
- * **अष्टवर्ग के पौधे तथा संजीवनी की खोज** : आचार्य बालकृष्णजी के नेतृत्व में संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा अष्टवर्ग के पौधे तथा संजीवनी की खोज आयुर्वेद के क्षेत्र में एक नया आयाम है।
- * **गंगा रक्षा अभियान** : स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में 'गंगा रक्षा मंच' के आह्वान व अनेक सामाजिक संगठनों के प्रयास से केन्द्र सरकार ने संस्कृति की प्रतीक 'माँ गंगा' को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया।



* मुम्बई के शहीदों का सम्मान : पतंजलि योगपीठ ने देश की स्वतंत्रता के पश्चात इतिहास में देश पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले में शहीद हुए परिवारों के सदस्यों का दिल्ली में सार्वजनिक सम्मान किया तथा प्रत्येक शहीद परिवार को सम्मान राशि के रूप में पांच-पांच लाख रुपये की राशि भी भेंट की गई।

पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टिट्यूट (पतंजलि जैव अनुसंधान संस्थान) -

रासायनिक उर्वरक अंततः मिट्टी के अनुकूल सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं और परिणामस्वरूप कुछ ही वर्षों में मिट्टी का मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। पतंजलि बायोरिसर्च इंस्टिट्यूट-से खाद्य श्रृंखला के जैविक संतुलन को बनाए रखने के लिए समाधान खोजने में मदद मिलेगी। इसमें जैव उर्वरक-जैव कीटाणु नाशक और बायो गैस का विकास और जैविक अपशिष्ट का उपयोग होगा। जैव उर्वरकों से-सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक मिट्टी के पोषक चक्र को बहाल करने में मदद मिलेगी। जैव उर्वरकों के प्रयोग से, स्वस्थ पौधों को उगाया जा सकेगा और मिट्टी की स्थिरता और स्वास्थ्य को कायम रखा जा सकेगा।

पतंजलि ग्रामोदयोग

पतंजलि ग्रामोदयोग का प्रयास होगा कि भारत में स्थानीय समुदायों और कारीगरों के परंपरागत कौशल को जमीनी स्तर पर भारतीय गांवों के विकास के लिए उपयोग में लाये। यह भारत के सर्वांगीण विकास की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।

पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन

पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य, हमारे महान संतों द्वारा दिए गए, योग और आयुर्वेद के ज्ञान पर व्यापक शोध कार्य कर सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना है। आज योग और आयुर्वेद के लाभों को सर्वसम्पत्ति से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है, लेकिन जहाँ तक अनुसंधान का प्रश्न है, बहुत कम काम हुआ है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन वैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कसौटी पर योग और आयुर्वेद को सिद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध है।



भारत स्वाभिमान

बीमारी, बुराई व भ्रष्टाचार से मुक्त स्वस्थ, संस्कारवान् व शक्तिशाली भारत के निर्माण का आन्दोलन

भारत स्वाभिमान के मुख्य तीन लक्ष्य

1. आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त करके विदेशों में जमा देश का लगभग 258 लाख करोड़ रुपये व देश में जमा लगभग 60 लाख करोड़ रुपये के काले धन को देश की अर्थ-व्यवस्था में सम्मिलित करके उसको राष्ट्र के विकास में लगवाना व काले धन की अर्थ-व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करना।
2. भ्रष्टाचार, बलात्कार, दहेजहत्या, गोहत्या, आतंकवाद व मिलावट करने वालों के खिलाफ मृत्युदण्ड का कानून बनवाकर 115 करोड़ भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करवाना। इसके लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाकर एक से तीन माह में तुरन्त न्याय की व्यवस्था करवाना, जिससे कि अपराधियों को तुरन्त दण्ड मिल सके और इन भ्रष्टाचार व बलात्कार आदि करने वालों के मृत्युदण्ड का कानून को राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से मुक्त करवाना।
3. भारत को लूटने वालों को रोकने व शोषण करके सदा गुलाम बनाकर रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई समस्त कुटिल-नीतियों को राजनैतिक व प्रशासनिक-व्यवस्था का राष्ट्रहित में पूर्ण-परिवर्तन करवाना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, अर्थ-व्यवस्थादि का पूर्ण भारतीयकरण या स्वदेशीकरण करवाना।

तीन लक्ष्य पाने का उपाय — सदस्यता अभियान

काले धन की अर्थ-व्यवस्था को खत्म करने, भ्रष्टाचार व बलात्कार आदि को मिटाने के लिए कानून बनाने व व्यवस्था को चलाने तथा नीतियों के बनाने का एकमात्र अधिकार मुख्यरूप से देश की लोकसभा या संसद को ही है। अतः लोकसभा में 626 जिलों से 543 ऐसे सांसद चुनकर भेजना जो इन तीनों कामों को करें।

इसके लिए—एक जिले से भारत स्वाभिमान के औसत 7 से 10 लाख—सदस्य तैयार करना जो आगामी लोकसभा चुनाव में केवल उन्हीं को लोकसभा सदस्य चुनकर भेजेंगे जो उपरोक्त तीन कामों को-पूरा करेंगे। सत्ता व व्यवस्था-परिवर्तन करके भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बनाने के साथ-साथ सभी सदस्यों को हम योग के द्वारा रोग, नशा (शराब, तम्बाकू आदि) व अन्य सामाजिक बुराईयों से मुक्त बनाकर एक आदर्श नागरिक बनायेंगे। सभी सदस्यों में कर्तव्यपरायणता व राष्ट्रीयता के भाव भरकर भारत को विश्व का एक आदर्श व शक्तिशाली राष्ट्र बनायेंगे। रोग, नशा व भ्रष्टाचार से मुक्त आदर्श व्यक्ति, गाँव, तहसील, जिला, समाज व आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना हमारा ध्येय है। जो गाँव 90 से 100 प्रतिशत योगमय, रोग-नशा व सामाजिक बुराईयों से मुक्त होगा, स्वस्थ, स्वच्छ, स्वावलम्बी व संस्कारवान होगा वह हमारे आदर्श गाँव की श्रेणी में होगा।

मुख्यालय : भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ,
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

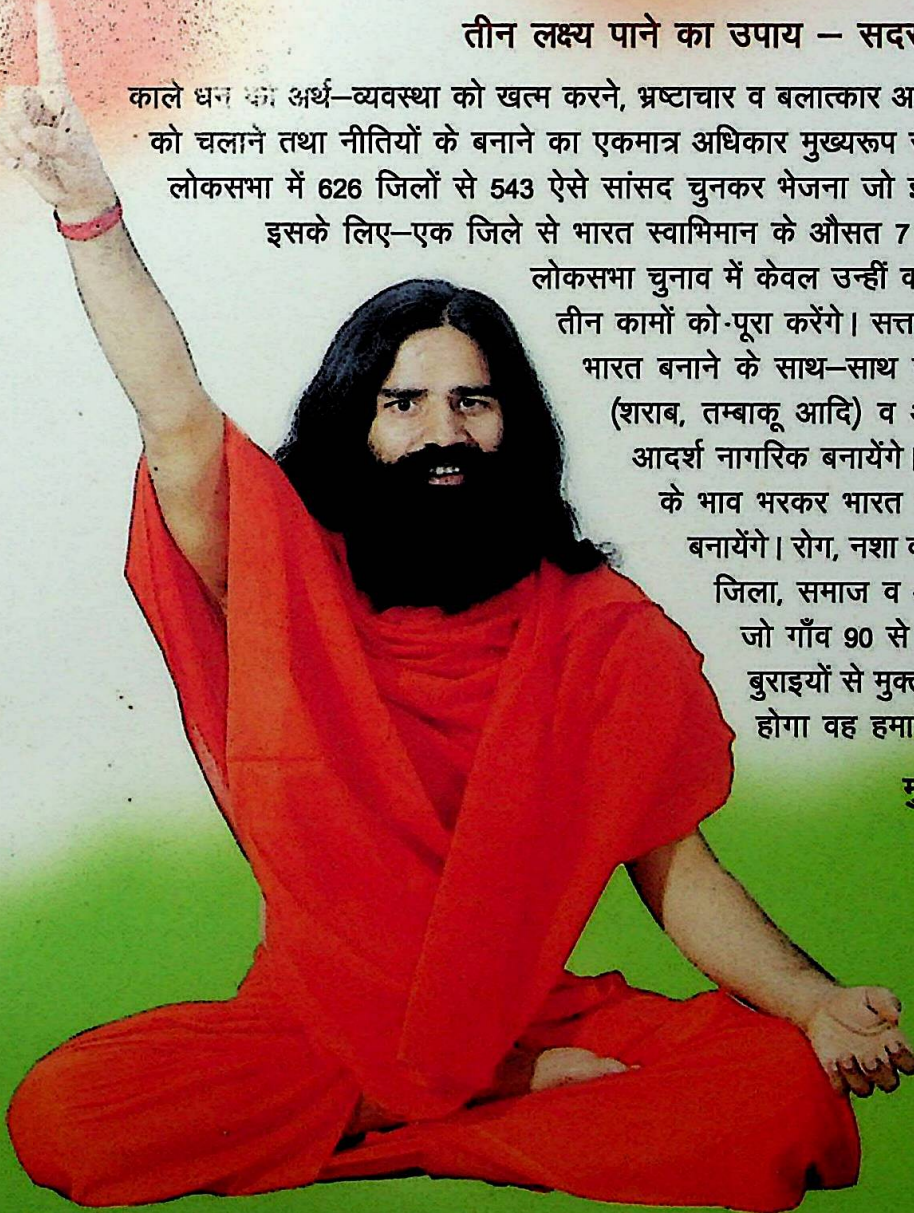
फोन : 01334-240008, 244107,

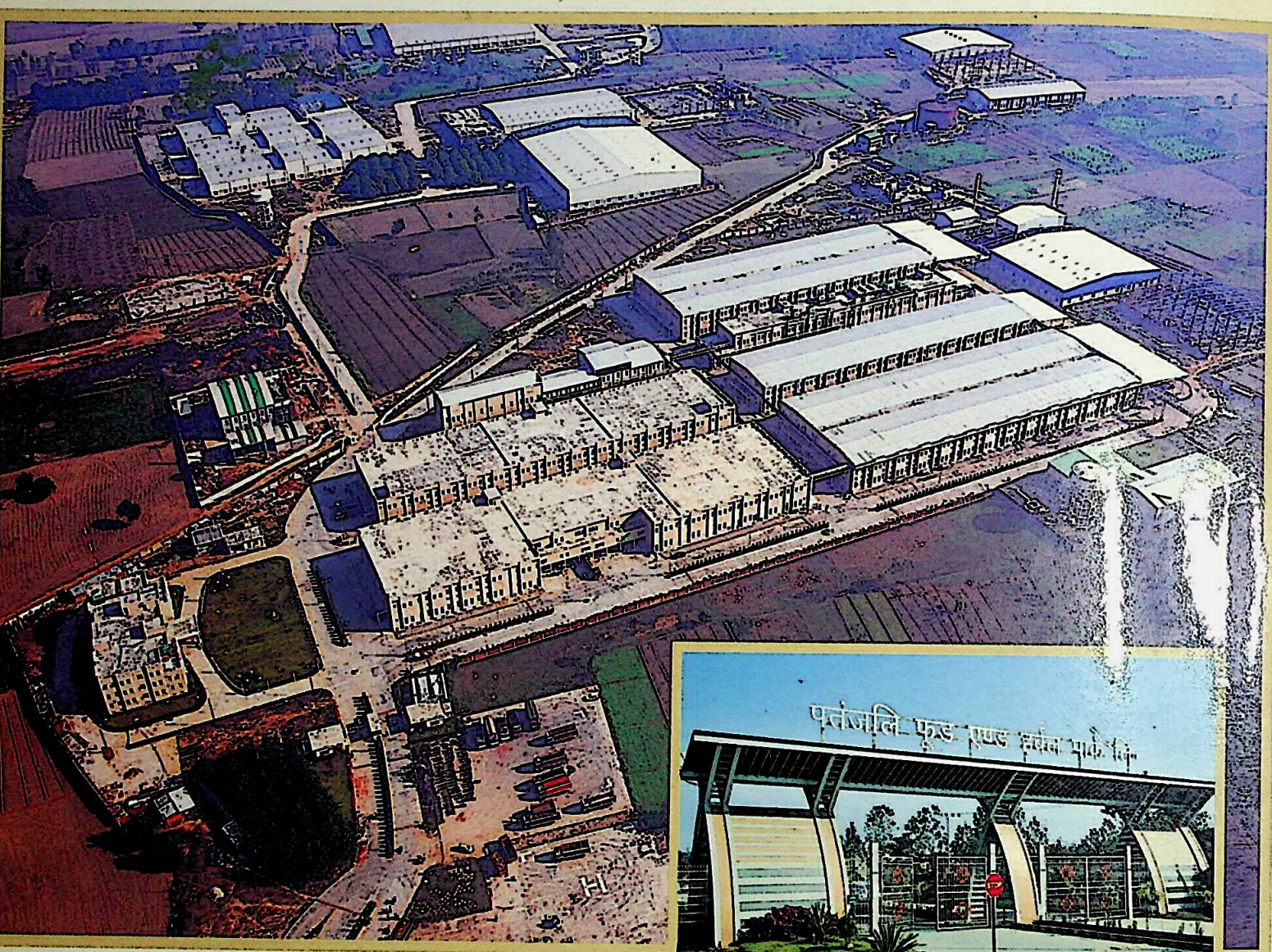
फैक्स : 01334-244805, 240664

E-mail : divyayoga@rediffmail.com,

www.divyayoga.com,

www.bharatswabhimantrust.org





पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| * खाद्य प्रसंस्करण इकाई | * जड़ी-बूटी/घनसत्व इकाई |
| * पेय (जूस) इकाई | * सौन्दर्य प्रसाधन इकाई |
| * आयुर्वेदीय औषध इकाई | * डिस्टर्जेंट इकाई |

- * पतंजलि फ्लैक्सीपैक प्रा. लि.
- * दिव्य पैकमेफ प्रा. लि.
- * पतंजलि नेचुरल प्रा. लि.
- * पतंजलि परिवहन प्रा. लि.

पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क
ग्राम-पदार्था, लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

सम्पर्क : पतंजलि योगपीठ

महर्षि दयानन्द ग्राम, दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग, निकट बहादुराबाद, हरिद्वार-249402, उत्तराखण्ड

फोन : 01334-240008, 244107, 246737 फैक्स : 01334-244805, 240664

ई-मेल : divyayoga@rediffmail.com वेबसाइट : www.divyayoga.com